भूदान-यज्ञ

भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक– साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र

वर्ष : १५ अंक : १-२

सोमवार १४ अक्तूबर, '६८

अन्य पृष्ठों पर

पन्द्रहवाँ वर्ष —सम्पादकीय ३

ग्रामस्वराज्य की रचना : एक प्रारूप —परिचर्चा ४

चंपारण का चमत्कार··· —विनोबा ९

मूल्य-परिवर्तन कानून या हिंसा से असम्भव —जयप्रकाश नारायण ११

मेहता-समिति का प्रतिवेदन १३

इतिहास का तथ्य : भावना का सत्य —अनिकेत १४

वाराणसी में विनोबा —राही १६

अन्य स्तम्भ

पत्र-प्रतिक्रिया

आन्दोलन के समाचार

कृपया क्षमा करें

•कई स्थानीय तथा प्रेस की असुविधाओं के कारण प्रस्तुत अंक ३ दिन विलम्ब से पाठकों के पास पहुँच रहा है। इस असुविधा के लिए आशा है, कृपालु पाठक क्षमा करेंगे।

•डाक-तार विभाग की अव्यवस्था के कारण कुछ पाठकों को अंक नियमित नहीं मिल पाये हैं। आशा है आप इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमें क्षमा करेंगे।

सम्पादक
राममूर्ति

सर्व सेवा संघ प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी–१, उत्तर प्रदेश
फोन : १२८५

सत्य की शक्ति और व्यक्ति का पुरुषार्थ

संपूर्ण सत्य को अगर हमने देखा होता, तो फिर सत्य का आग्रह किसलिए रखते? तब तो हम परमेश्वर हो जाते। क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है, ऐसी हमारी भावना है। हम पूरे सत्य को पहचानते नहीं हैं, इसलिए उसका आग्रह रखते हैं, और इसलिए पुरुषार्थ के लिए स्थान है। इसमें हमारी अपूर्णता का स्वीकार आ जाता है।

आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके लिए कोई कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है, भले आप अपने घनिष्ट मित्रों को भी अपने साथ न ले सकें। जब कर्तव्य का संघर्ष पैदा हो तब आपके भीतर की 'शान्त सूक्ष्म आवाज' ही सदा अन्तिम निर्णायक होनी चाहिए।

सत्य क्या है? प्रश्न कठिन है, परन्तु मैंने अपने लिए उसे यह कहकर हल कर लिया है कि जो हमारी अन्तरात्मा कहे वही सत्य है। आप पूछेंगे, तब विभिन्न लोग विभिन्न और विरोधी सत्यों की कल्पना कैसे करते हैं? इसका उत्तर यह है कि मानव-मन असंख्य माध्यमों द्वारा काम करता है और मानव-मन का विकास हरएक में एक-सा नहीं हुआ है, इसलिए यह परिणाम तो आयेगा ही कि जो एक के लिए सत्य हो वह दूसरे के लिए असत्य हो। और इसलिए जिन लोगों ने सत्य के प्रयोग किये हैं, वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इन प्रयोगों में कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है। जैसे सफलतापूर्वक वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए अमुक वैज्ञानिक तालीम चाहिए, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए यम-नियमों की कठोर प्रारंभिक साधना जरूरी है। इसलिए कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज की बात करे, उसके पहले उसे अपनी मर्यादाएँ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आजकल हरएक आदमी यम-नियम की कोई भी तालीम लिये बिना ही अपने अन्तःकरण की आवाज के अधिकार का दावा करता है। इसके फलस्वरूप संसार को इतना असत्य प्रदान किया जा रहा है कि वह हैरान है। इसलिए मैं आपसे सच्ची नम्रता से इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि सत्य की प्राप्ति ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती, जिसमें नम्रता की विपुल भावना न हो। अगर आप सत्य के महासागर की छाती पर तैरना चाहते हैं, तो आपको शून्य बन जाना होगा।

मैं घृणा लायक हो सकता हूँ। लेकिन जब सत्य मेरे जरिये बोलता है, तब मैं अजेय बन जाता हूँ।

सत्य और अहिंसा को छोड़कर दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका मैं देश के खातिर त्याग न कर सकूँ। सारी दुनिया के खातिर भी मैं इन दो का त्याग नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे लिए सत्य ईश्वर है और अहिंसा के मार्ग के सिवा सत्य को पाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। —मो० क० गांधी

www.vinoba.in

पत्रः प्रतिक्रिया

शुद्ध-व्यवहार की दिशा में व्यापारियों द्वारा एक और कदम

—सिद्धराज ढड्ढा

ता० १६ जुलाई के "भूदान-यज्ञ" में आन्ध्र प्रदेश की तेल-मिलों द्वारा स्वेच्छापूर्वक सेल्स-टैक्स जमा कराने के अनुकरणीय प्रयोग के सम्बन्ध में मैंने विस्तार से लिखा था। व्यापारी वर्ग के प्रति आज आम तौर पर समाज में जो अविश्वास तथा दुर्भावना है उसका उपाय यही है कि स्वयं व्यापारी समुदाय स्वेच्छापूर्वक अपने व्यवहार में सचाई और शुद्धि दाखिल करें और जो शुद्ध-व्यवहार न करें ऐसे व्यापारियों या कारखानेदारों का वे स्वयं बहिष्कार करें। विनोबाजी ने एक से अधिक बार व्यापारी वर्ग को इसके लिए आह्वान किया और चेतावनी भी दी। उन्होंने व्यापारियों को याद दिलाया कि वैश्य वर्ग का भी अपना धर्म है और अपने-अपने धर्म का पालन करनेवाला हर वर्ग का व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठ है जितना किसी दूसरे वर्ग का। कुछ जगह व्यापारी समाज ने थोड़ी जागृति बतलायी, पर समाज पर असर पड़ सके इस प्रकार का व्यापक काम अभी तक नहीं हुआ है।

आन्ध्र के प्रयोग का वर्णन "भूदान-यज्ञ" में पढ़कर श्री रामकृष्ण बजाज ने महाराष्ट्र के एक ऐसे ही प्रयोग की जानकारी भेजी है। दो-तीन वर्ष पहले पू० विनोबा की प्रेरणा से श्री रामकृष्ण बजाज ने, जो उस समय महाराष्ट्र व्यापार संघ के अध्यक्ष थे, उद्योग-व्यापार में शुद्ध-व्यवहार के लिए अपने समकक्ष बड़े-बड़े उद्योगपतियों को आह्वान किया और "फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज एसोसियेशन" के नाम से एक संगठन की स्थापना की। जैसा इसके नाम से जाहिर है, इस संगठन का उद्देश्य व्यापारी समाज में उचित परम्पराओं को प्रतिष्ठित करने और उन्हें कार्यान्वित करने का है। यह खुशी की बात है कि यह संगठन धीरे-धीरे सक्रिय हो रहा है।

श्री रामकृष्ण बजाज ने महाराष्ट्र चेम्बर तथा बम्बई के गल्ला-व्यापारियों की ओर से "उचित व्यवहार" दुकानों के एक प्रयोग की जानकारी भेजी है, जो अन्य शहरों के व्यापारी संगठनों द्वारा भी अनुकरणीय है। जो दुकानदार इस योजना में शामिल होते हैं वे स्वेच्छापूर्वक अपने लिए यह व्यवहार स्वीकार करते हैं कि उनकी दुकानों पर निश्चित किया हुआ माल निर्धारित मूल्य पर, बिना मिलावट का और सही नाप-तौल से मिलेगा। ऐसे दुकानदारों को संगठन की ओर से एक विशेष बोर्ड दिया जायगा, जिसे वे दुकानों पर प्रदर्शित करेंगे, ताकि अन्य दुकानों से उनका अन्तर ग्राहकों को मालूम हो सके। यह खुशी की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इस योजना में सहयोग देना स्वीकार किया है। श्री रामकृष्ण बजाज का पत्र इस प्रकार है :

प्रिय श्री सिद्धराजजी,

श्री गाडोदियाजी ने १६ जुलाई का "भूदान-यज्ञ" मेरे पास भिजवाया था, जिसमें "व्यापारियों के लिए एक अनुकरणीय प्रयोग" नामक आपका लेख छपा है।

आन्ध्र प्रदेश में तेल-मिलों के संघ की तरफ से जो प्रयोग हुआ है वह बहुत ही प्रेरणादायी व उपयोगी लगता है। श्री टोकरसी लालजी कापडिया को बहुत बधाई! इस तरह के सैकड़ों और हजारों प्रयोग सारे हिन्दुस्तान में अलग-अलग जगह अलग अलग लोगों की प्रेरणा से होंगे तब जाकर कहीं कुछ लाभ हो सकेगा।

इसी दृष्टि को खयाल में रखकर कुछ प्रयोग यहाँ भी शुरू हुए हैं। उसकी जानकारी आपको रहे इसके लिए साथ में अभी तक जितना काम हुआ है उसकी कुछ जानकारी भिजवा रहा हूँ। "फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज असोसिएशन" और "अप्रूव्ड शाप्स स्कीम" के साथियों से भी इस बारे में बातचीत करके यहाँ भी कुछ काम इस दृष्टि से हो सके तो कोशिश करेंगे।

मैं मानता हूँ कि ऐसे आन्दोलन जब तक बहुत सफल नहीं हो जाते और जनता में व्यापारियों के प्रति विश्वास नहीं पैदा होता तब तक सरकार से किसी तरह की सुविधा माँगना ठीक नहीं है। फिर भी यह लगता है कि व्यापारियों की कोशिश से सरकार को सेल्सटैक्स आदि काफी अधिक प्रमाण में मिला है तो यदि प्रयत्न करके सरकार को मनाया जा सके और उस हद तक सेल्सटैक्स आदि में कुछ थोड़ी भी कमी करायी जा सके तो ऐसे आन्दोलनों को बहुत वेग मिल सकता है। सरकार का काम ठीक से चलने में ऐसे संघ मदद करते हैं और उससे सरकार का बोझा कम होता है। अपेक्षा से अधिक उनका 'कलेक्शन' हो जाता है तो वे टैक्स की दर कम करें तो उसमें उनका भी कोई नुकसान नहीं है। इससे जनता को भी सामग्री सस्ते में मिल सकेगी और उनका भी धन्यवाद सरकार को प्राप्त हो सकेगा। इस दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार के साथ कुछ बात चल रही है। "अप्रूव्ड शाप्स स्कीम" के अन्तर्गत हमने ७०० दुकानों को मान्यता दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे सिद्धान्ततः कबूल किया है कि रवा, मैदा और आटा, जो अभी तक सिर्फ सरकारमान्य राशन की दुकानों के जरिये ही बेचा जाता था वह हमारी "अप्रूव्ड शाप्स" को भी दिया जायगा और वे निश्चित किये हुए दाम पर ही बेचेंगे इसकी जवाबदारी हम लोगों की कमेटी पर छोड़ी जायगी। इस बारे में अधिक बातचीत उनके साथ चल रही है।

यह सब आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, जिससे ऐसे प्रयोगों की जानकारी एक-दूसरे को होती रहे और ऐसे आन्दोलनों को प्रोत्साहन भी मिल सके।

सस्नेह आपका,

२० अगस्त, १६६८ —राम कृष्ण बजाज

श्रद्धाञ्जलि

काशी : १२ अक्तूबर। आकाशवाणी से प्राप्त सूचनानुसार कल ११ अक्तूबर की शाम को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी का स्वर्गवास हो गया। आपने अपने भजनों द्वारा विश्व की मूलभूत एकता का भाव समाज में संचारित किया था। इस महान सन्त को हमारी विनम्र श्रद्धाञ्जलि !

सम्पादकीय

पन्द्रहवाँ वर्ष

रोज सुबह आज की दुनिया कल की दुनिया से कितनी अच्छी लगती है—ताजी, सुहानी, उमंगभरी। लेकिन शाम होते-होते फिर बीते परसों की दुनिया-जैसी हो जाती है—फीकी, निष्फल, भूल जाने लायक। इसी तरह एक के बाद दूसरा दिन, और दूसरे के बाद तीसरा दिन, बीतता जाता है, हम समझ नहीं पाते कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसे बनाने या बिगाड़ने में हमारा क्या हाथ है।

उस दिन जॉन और स्मिथ नाम के दो अंग्रेज अतिथियों से बड़ी मित्रतापूर्ण चर्चा हुई। दोनों को चेकोस्लोवाकिया के साथ सहानुभूति थी, लेकिन एक को रूस के साथ भी थी। वह कह रहा था कि साम्यवाद के जिस भय के कारण अमेरिका विएतनाम में घुसा हुआ है, पूँजीवाद के उसी भय के कारण रूस चेकोस्लोवाकिया में घुसा है। "यह भय ही तो है जिसे दिखाकर नेता चाहे जो करा लेते हैं। जनता जानती ही क्या है कि कहाँ क्या हो रहा है?" जॉन ने कहा।

इस पर स्मिथ बोला: "बात ठीक है। कामन मैन को दुनिया इतनी उलझी हुई दिखाई देती है कि वह कुछ समझ नहीं पाता, और जब समझ नहीं पाता तो समझना ही छोड़ देता है। मान लेता है कि सारी चिन्ताओं का एक ही जवाब है, सिनेमा और शराब। चिंताएँ बड़ी तो तब होती हैं जब दिमाग की दुनिया बड़ी होती है।" "टेलीविजन आदमी के दिमाग को उतना बड़ा बना देगा जितना बड़ा यह विश्व है।" जॉन ने कहा। "वह कैसे?" स्मिथ ने पूछा। "टेलीविजन घर-घर फैल जायेगा तो नाश्ते के वक्त, खाने के वक्त, रात को बिस्तर पर लेटे-लेटे, दुनिया को देखेंगे। तब वे जानेंगे कि लन्दन की पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधि खर्राटे ले रहा है, अमेरिका के जहाज बम गिरा रहे हैं और गाँव जल रहे हैं, रूसी सेनाएँ प्राग में घुस रही हैं, आदि। तब उसकी चेतना कितनी व्यापक हो जायेगी?" जॉन ने उत्तर दिया। स्मिथ शंका प्रकट करता हुआ बोला: "मैं कुछ दूसरा ही देख रहा हूँ। अमेरिका में घर-घर टेलीविजन है। मैंने खुद देखा है कि लोग प्याले से चाय पीते रहते हैं, और देखते रहते हैं कि उनके जहाजों द्वारा गिराये हुए बमों से मकान-पर-मकान गिर रहे हैं, सड़क पर कोई स्त्री मरी पड़ी है, किसी बच्चे के शरीर के तीन टुकड़े हो गये हैं, आगे दस-बीस लोग झुलस-झुलसकर गिर रहे हैं। बच्चा पूछता है माँ से कि ऐसा क्यों हो रहा है? माँ कहती है युद्ध हो रहा है, युद्ध में यह होता ही है। अमेरिका के अनेक लोगों की ऐसी आदत होती जा रही है कि ऐसे दृश्यों से मन में कोई प्रश्न भी नहीं उठता। इतना ही नहीं, जिस दिन टेलीविजन पर यह सब नहीं होता, उस दिन प्रोग्राम फीका-सा लगता है। मैं तो मानता हूँ कि टेलीविजन द्वारा अमेरिका का हिंसा में व्यापक लोक-शिक्षण हो रहा है।" जॉन ने कहा: "भाई, यह सब व्यवसाय है। व्यवसाय को मुनाफा चाहिए और हमें-तुम्हें मनोरंजन चाहिए। लड़ाई भी एक व्यवसाय है। उससे मालिकों को मुनाफा मिलता है, और हमें-तुम्हें मनोरंजन।"

मैं अंग्रेज मित्रों की उस दिलचस्प चर्चा में शरीक तो था, लेकिन अबतक चुप था। इतनी बातें हो जाने पर मैंने कहा, "मुनाफा मालिकों को ही नहीं चाहिए। मुनाफे पर देश की सरकार चलती है, और मुनाफे पर ही हमारा-तुम्हारा 'स्टैण्डर्ड आफ लिविंग' निर्भर है। अगर लड़ाई के अस्त्र-शस्त्र न बिकें तो सोचो इंग्लैण्ड के आम लोगों को कमाई में कितनी कमी आ जायेगी! तैयार हो उस कटौती के लिए?" जॉन ने फौरन उत्तर दिया: "मैं तैयार हूँ, मेरे मित्र भी तैयार होंगे।" स्मिथ ने पूछा: "उनकी संख्या कितनी होगी?"

बात बिलकुल सही है। आज की व्यवस्था, उत्पादन की सारी तकनिक, वैज्ञानिक शोध और प्रयोग, तथा लोक-कल्याण के कार्य बहुत-कुछ युद्ध के व्यवसाय पर निर्भर हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया आत्महत्या के भरोसे पर जी रही हो। इसलिए तो गांधीजी ने बार-बार कहा है कि मनुष्य-मात्र की मुक्ति इसमें है कि राज्य की हिंसा समाप्त हो। शान्ति की बात कहने, और कहते रहने से काम नहीं चलेगा, समाज की बुनियादें बदलनी पड़ेंगी।

राज्य की हिंसा की समाप्ति और उत्पादन की नयी तकनीक इन दो के बिना समाज नहीं बदलेगा, और सभ्यता आगे नहीं बढ़ेगी, यह बात दिनों दिन साफ होती जा रही है। हम राज्य को 'हिंसा' सौंप दें और खुद 'अहिंसक' बन जायें, तथा उत्पादन बड़ी मशीन और बड़ी पूँजी को सौंप दें और खुद भोग की अपनी छोटी-सी दुनिया में बन्द हो जायें तो दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी।

जब गांधी थे तो गांधी के इस सत्य की जरूरत शायद दुनिया को नहीं थी। आज उस सत्य की जरूरत सन्त को ही नहीं, सामान्य मनुष्य को भी है। विज्ञान की दुनिया उस सत्य के बिना चल नहीं सकती। गांधी के जाने के बीस वर्ष बाद गांधी और विज्ञान दोनों एक हो गये हैं। अब गांधी-विचार विज्ञान के बल पर खड़ा है।

लेकिन प्रश्न है कि यह सत्य हमारे जीवन का तथ्य कैसे बने? यहीं आकांक्षा, आवश्यकता, और अवसर के साथ पुरुषार्थ का मेल होता है। गांधी के सत्य को जीवन का तथ्य बनाने का नाम विनोबा ने दिया: 'ग्रामदान'।

कुएँ बनेंगे, कमरे बनेंगे, किताबें बिकेंगी। ये तथा इस तरह के अनेक काम अपनी जगह अच्छे हैं, और उपयोगी हैं, लेकिन गांधी के सत्य की प्रतीति जगाना और उसके आधार पर ग्रामदान की ईंट नये समाज की नींव में डाल देना पहला काम है। पहला काम हो तो दूसरे काम पूरक बनकर पहले को पूर्ण बना देते हैं, लेकिन अगर पहला ही न हो तो दूसरे-तीसरे-चौथे काम बेकार हो जाते हैं।

'भूदान-यज्ञ' हमारे आन्दोलन का प्रहरी है। चौदह वर्षों से वह यह काम करता आ रहा है, अब पन्द्रहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बापू की जन्म-शताब्दी का यह वर्ष भारत की जनता के लिए मुक्ति का वर्ष सिद्ध हो, यह चिन्ता हम सबकी है। 'भूदान-यज्ञ' इसी चेष्टा में अब तक जीया है, और आगे भी जीयेगा तो उसीके लिए।•

परिवार
www.vinoba.in

ग्रामस्वराज्य की रचना : एक प्रारूप

बिहारदान के बाद क्या ? "बिहारदान" के नारे के साथ कुछ कार्यकर्त्ताओं और नागरिक मित्रों के मन में ये प्रश्न उठने लगे कि ग्रामदान, प्रखण्डदान, जिलादान के बाद पूरे बिहार का दान हो जायगा तब भी क्या राजनीति इसी तरह चलती रहेगी जैसे आज चलती रहती है, सरकार का ढाँचा यही रहेगा, चुनाव इसी तरह होते रहेंगे ? एक पूरे राज्य का दान हो जाने पर 'लोकनीति' के विचार किस तरह लागू होंगे ?

ग्राम-प्रतिनिधित्व—हम कुछ लोगों ने ये प्रश्न पिछले साल खादीग्राम, मुंगेर के पड़ाव पर विनोबाजी के सामने रखे। उन्होंने कहा कि यह सारा प्रश्न गहराई से अध्ययन करने का है, फिर भी इतना तय है कि अभी जो भी कदम उठेगा वह मौजूदा संविधान के अन्तर्गत होगा। जहाँ तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, ग्रामस्वामित्व का विचार मान लेने पर प्रतिनिधित्व संगठित ग्राम-समुदायों (आर्गनाइज्ड विलेज कम्युनिटीज) का ही हो सकता है। ग्रामसमुदाय ग्रामसभाओं में संगठित हो रहे हैं। स्वामित्व ग्रामसभा का है तो प्रतिनिधित्व भी ग्रामसभा का ही होगा। दोनों जुड़े हुए तत्त्व हैं।

इस पर प्रश्न उठा कि क्या चुनाव में उम्मीदवार ग्रामसभाओं के होंगे ? उत्तर मिला, हाँ। ग्रामदानी ग्रामसभाओं के लोग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को वोट क्यों देंगे ? वे अपने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े करेंगे ? उम्मीदवारों का चयन हर निर्वाचन-क्षेत्र (कन्स्टीच्युएन्सी) में ग्राम-सभाओं के प्रतिनिधियों को लेकर बने हुए 'ग्रामसभा प्रतिनिधि मंडलों' (इलेक्टोरल कालेजेज) के द्वारा होगा।

ग्राम-स्वराज्य के सत्व—विनोबाजी द्वारा इतने संकेत के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सारा सवाल ग्रामसभाओं के संगठन और शिक्षण का है। लेकिन लोकनीति के सन्दर्भ में राजनीतिक शिक्षण के लिए आवश्यक है कि पहले ग्राम-स्वराज्य के सत्व (एसेन्सियल्स आव ग्राम-स्वराज्य) तय हो जायँ, क्योंकि जनता के सामने जब तक ग्राम-स्वराज्य की वैचारिक भूमिका साफ न हो जाय तब तक यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जीवन के केवल एक क्षेत्र—राजनीति, में उसका आचरण बदल जायगा। यह सोचकर जनवरी १९६८ में हम लोगों ने खादीग्राम में एक गोष्ठी बुलायी, जिसकी चर्चाएँ पाँच दिन तक श्री धीरेन्द्र भाई के मार्गदर्शन में चलीं। गोष्ठी ग्राम-स्वराज्य के इन पाँच मुद्दों पर एक राय हुई :

१. स्वायत्त ग्रामसभा
२. दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व
३. पुलिस-अदालत-निरपेक्ष व्यवस्था
४. ग्रामाभिमुख अर्थनीति
५. स्वतंत्र शिक्षण

गोष्ठी के बाद विनोबाजी से चर्चा की गयी और उन्होंने ग्राम-स्वराज्य के इन मुद्दों को मान्य कर लिया। और, पाँच में एक छठा मुद्दा 'सर्व-धर्म-समभाव' का भी जोड़ते हुए उन्होंने जोर दिया कि इस प्रतिनिधित्व आदि विषयों की चर्चा और अधिक लोगों के बीच, तथा और अधिक ऊँचे स्तर पर, होनी चाहिए।

गोष्ठी—सर्व सेवा संघ की ओर से ५, ६, ७ जुलाई, १९६८ को गांधी विद्या-स्थान, वाराणसी में एक गोष्ठी बुलायी गयी। गोष्ठी में सर्वश्री जयप्रकाश नारायण (अध्यक्ष), दादा धर्माधिकारी, शंकरराव देव, नवकृष्ण चौधरी, विचित्र नारायण शर्मा, मनमोहन चौधरी, सुगत दासगुप्ता, राधाकृष्ण, सिद्धराज ढड्ढा, पूर्णचन्द्र जैन, राममूर्ति, गोविन्दराव देशपांडे, निर्मलचन्द्र तथा इंस्टीट्यूट के कई अन्य सदस्यों ने भाग लिया। गोष्ठी में राज्यदान के सन्दर्भ में उठनेवाले कई राजनीतिक प्रश्नों पर विचार हुआ, मुख्यतः ग्राम-स्वराज्य के सत्व तथा प्रतिनिधित्व पर। 'ग्राम-स्वराज्य के सत्व' के रूप में वक्तव्य मान्य हुआ वह इस प्रकार है :

भूमिका

भारत गाँवों का देश है। देश का विकास उसके लाखों गाँवों के विकास पर निर्भर है। इस मूल सत्य को पहचानकर ही गांधीजी ने कल्पना की थी कि स्वतंत्र भारत में गाँव देश की प्राथमिक इकाई बनेगा—हर इकाई अपने में भरी-पूरी, स्वाश्रयी और स्वायत्त, पर एक-दूसरे से सहकार के धागे में बँधी हुई, और सब मिलकर पूरे देश और अखिल मानवता से अनेक रूपों में जुड़ी हुई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह नहीं हुआ। अंग्रेजी राज में गाँवों के विघटन का जो क्रम शुरू हुआ था, वह जारी रहा। नयी सरकार की नयी रीति-नीति के अनुसार पंचायतीराज और सामुदायिक विकास-योजनाओं और कार्य-क्रमों द्वारा गाँवों के विकास की कोशिश की गयी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, और गाँव दिनोंदिन अधिक असहाय होते गये; टूटते ही चले गये, यहाँ तक कि आज गाँव घरों के समूह मात्र रह गये हैं। उनका कोई 'स्व' जैसे है ही नहीं। स्वभावतः जब गाँव टूटे तो देश गिरा।

यह क्रम तभी रुकेगा जब एक-एक गाँव में स्वराज्य पहुँचेगा। गाँव एक संपूर्ण इकाई माना जायेगा, उसका 'स्व' उसे वापस मिलेगा। वह अपने निर्णय और अपनी शक्ति से अपने जीवन का नियमन और संचालन करने को स्वतंत्र होगा।

ऐसे ग्राम-स्वराज्य का अर्थ है आज के ढाँचे में आमूल परिवर्तन—परिवर्तन प्रशासन और प्रतिनिधित्व में, अर्थनीति में, शिक्षण में, सभी पहलुओं में। जब तक दमन और शोषण की व्यवस्था का अन्त नहीं होगा, तब तक गाँव की प्रतिभा और शक्ति को प्रकट होने का, तथा सत्य और समता के नये मूल्यों के आधार पर हर व्यक्ति को नये जीवन का, अवसर नहीं मिलेगा।

ग्राम-स्वराज्य की क्रान्ति ग्रामदान से शुरू हो गयी है। अनेक प्रखण्डों, जिलों, और कई राज्यों में व्यापक परिवर्तन की भूमिका बन रही है। हजारों गाँवों में प्रारम्भिक हलचल के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अभी हलके ही

सही, पर कितने ही लोगों के कदम आगे बढ़ने को तैयार हो रहे हैं।

www.vinoba.in

जो आन्दोलन करोड़ों को छूए, जो देश के पूरे जीवन को बदलने-बनाने का दावा करे, जो विचार की ही शक्ति को सर्वोपरि माने, उसके आदर्शों और दिशाओं के बारे में शुरू से ही अधिक स्पष्टता होनी चाहिए। मनुष्यों की तरह क्रान्तियाँ भी भटक जाती हैं। आज देश की जो स्थिति है उसे देखते हुए यह गुञ्जाइश नहीं है कि उभरती हुई लोक-चेतना सही रास्ते से हट जाय, तथा संकुचित स्वार्थ, प्रचार और पूर्वाग्रह के जंगल में भटकती फिरे। रचनात्मक क्रान्ति में मूल्यों और विचारों की धूमिलता घातक हो जाती है।

सत्व

(१) स्वायत्त ग्रामसभा

ग्रामदान के आधार पर बनी हुई हर ग्रामसभा शान्ति, न्याय, ग्राम-संयोजन, तथा सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में अपनी भीतरी व्यवस्था और जीवन-पद्धति के विकास के लिए, अपनी सामर्थ्य तथा व्यापक हित की मर्यादा में, स्वायत्त होगी। सर्व का निर्णय, सर्व की शक्ति, सर्व का हित, यह उसका प्रेरणा-मंत्र होगा। उसके कार्य सर्व-सम्मति अथवा सर्वानुमति से होंगे। गाँव एक सुखी, शान्त, समान परिवार बने, यह उसकी चेष्टा होगी। भीतर सहकार, बाहर सरकार: इस प्रकार सरकार पूरक शक्ति रहकर गाँव की नैतिक सहकार-शक्ति को सतत बढ़ावा देगी।

ऐसी इकाइयाँ अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी, किन्तु देश के सन्दर्भ में परस्परावलम्बी, होंगी। यह मान्य रहेगा कि देश एक अखंड बड़ी इकाई है, जिसके प्रति हर छोटी इकाई उत्तरदायी है।

(२) दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व

देश की राज-व्यवस्था के अन्तर्गत विधान-सभाओं में गाँव की जनता का प्रतिनिधित्व उसकी ग्राम-सभाओं के द्वारा होगा। जनता के उम्मीदवार उसके अपने ग्रामसभाओं (या ग्राम-स्वराज्यसभाओं) के आधार पर बने हुए 'ग्रामसभा-प्रतिनिधि-मण्डलों' द्वारा मनोनीत होंगे, न कि आज की तरह राजनीतिक दलों के द्वारा। चुनाव को लेकर ग्रामसभाओं को अपनी एकता खंडित नहीं होने देनी चाहिए।

(३) पुलिस-अदालत-निरपेक्ष व्यवस्था

ग्रामसभा की सत्ता सामान्यतः नैतिक होगी। रक्षण, शान्ति और सुव्यवस्था की दृष्टि से वह अपनी शान्ति-सेना संगठित करेगी। न्याय-व्यवस्था उसकी अपनी होगी जिसमें कानूनी निर्णय से अधिक जोर आपसी समझौते और समाधान पर होगा। प्रयत्न होगा कि गाँव में कोई गंभीर अपराध न हों, किन्तु यदि हो ही गये तो देश के कानून लागू होंगे, तथा उनके अनुसार सरकार को अपनी ओर से कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

(४) ग्रामाभिमुख अर्थनीति

परिवार की तरह ग्रामसभा गाँव के सब सदस्यों के समुचित भरण-पोषण की चिन्ता करेगी— स्वभावतः सबसे गरीब और असहाय की। सबसे पहले हर व्यक्ति का विकास हो, और उसके जीवन के हर पहलू का विकास हो, इस दृष्टि से ग्रामसभा गाँव की बुद्धि, श्रम पूँजी तथा दूसरे साधनों के सदुपयोग की योजना बनायेगी, ताकि शोषण समाप्त हो और विषमता क्रमशः घटे। इस क्रम में ग्रामसभा समय-समय पर प्रकट होनेवाले विवादों और विरोधों का ग्रामहित की दृष्टि से शान्तिपूर्ण, पर न्यायोचित, हल निकालेगी।

(५) स्वतंत्र शिक्षण

ग्रामीण शिक्षण गाँव के जीवन और विकास से अनुबन्धित होगा, तथा शिक्षण में शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों की सम्मिलित चेष्टा प्रकट होगी। ग्राम-स्वराज्य की इकाइयाँ अपने क्षेत्र में शिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगी, और उन्हें वैज्ञानिक भूमिका में प्रयोग की पूरी छूट होगी। शिक्षण पर सरकार का एकाधिकार नहीं होगा। लेकिन स्थानीय अभिक्रम की पूर्ति में साधन और शोध की अपेक्षा उससे बराबर रहेगी।

(६) सर्व-धर्म समभाव

सब धर्मों की समानता सर्वमान्य होगी। ग्रामसभा के द्वारा धर्म के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। हर नागरिक को अपने विश्वास और उपासना-विधि के अनुसार आचरण की छूट होगी, बशर्ते कि उससे सार्वजनिक नैतिकता खण्डित न होती हो। स्वभावतः ऐसे वातावरण में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं होगा, और न तो दूसरों को अपने धर्म में मिलाने की कोशिश होगी। एक-दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव रखते हुए लोग पड़ोसीपन का जीवन बितायेंगे। इसी आधार पर हमारे देश की संस्कृति विकसित हुई है, और इसी दिशा में देश का भविष्य भी है।

× × ×

इस वक्तव्य में ग्राम-स्वराज्य के कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर हमारे आन्दोलन का मत (स्टैण्ड) स्पष्ट हो गया है, जिसके आधार पर ग्रामदानी जनता के शिक्षण और संगठन की विस्तृत योजना बनायी जा सकती है, तथा उसको सामने रखकर समय आने पर निर्वाचन क्षेत्रों की ओर से चुनाव की घोषणाएँ भी की जा सकती हैं।

दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व

उम्मीदवार का चयन और चुनाव

१९६८–६९ : लोक-शिक्षण

१९७२ : दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व

गोष्ठी का यह मत रहा कि जब व्यापक क्षेत्रों में ग्रामदानी ग्रामसभाओं के आधार पर ग्राम-समुदाय संगठित हो रहे हैं तो लोकनीति के प्रयोग के लिए बहुत अनुकूल अवसर प्रस्तुत हो रहा है। इस अनुकूलता का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, तथा ग्राम-सभाओं को इकाई मानकर प्रतिनिधित्व की पद्धति तय करनी चाहिए। जाहिर है कि निकट भविष्य में होनेवाले मध्यावधि चुनावों में लोकनीति की दिशा में लोकशिक्षण से ज्यादा कुछ करना सम्भव नहीं है। लेकिन शिक्षण के लिए भी जितना सम्भव हो उतना अवश्य करना चाहिए। साथ ही कुछ वर्ष बाद के देश-व्यापी चुनावों को सामने रखकर अभी से आवश्यक तैयारी की जानी चाहिए। वह तैयारी शिक्षण के रूप में होगी।

प्रतिनिधि मण्डल की रचना और उम्मीदवार चयन—ग्रामसभाओं को बुनियादी इकाई मान लेने पर "ग्रामसभा-प्रतिनिधि-मंडल" (इलेक्टोरल कालेज) की रचना का सवाल मुख्य हो जाता है। राज्य की विधान-सभा में ग्रामदानी ग्रामसभाओं का प्रतिनिधित्व

www.vinoba.in

होना चाहिए, लेकिन कैसे ? अभी मौजूदा निर्वाचन-पद्धति के भीतर ही सोचा जा सकता है।

पहला प्रश्न यह है कि 'ग्रामसभा-प्रति-प्रतिनिधि-मण्डल' की रचना कैसे हो, और उम्मीदवार का चयन कैसे हो ? इस सम्बन्ध में पाँच बातें तय हुई :—

१—जिस निर्वाचन-क्षेत्र में कम-से-कम तीन-चौथाई ग्रामसभाएँ बन जायँ उसमें 'ग्राम-सभा-प्रतिनिधि-मण्डल' बनाया जाय।

२—मण्डल स्थायी हो।

३—हर ग्रामसभा मण्डल के लिए अपने प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने।

४—एक ग्रामसभा से जनसंख्या के आधार पर कम-से-कम एक, और ज्यादा-से-ज्यादा पाँच, प्रतिनिधि हों।

५—मण्डल में अधिक-से-अधिक दो सौ पचास सदस्य हों।

यह प्रतिनिधि-मण्डल अपने निर्वाचन-क्षेत्र के उम्मीदवार का चयन करेगा। मण्डल मन्थन करके अन्त में एक ही उम्मीदवार की घोषणा करेगा।

अगर कोई प्रतिनिधि-मण्डल चाहे तो वह अपनी ग्रामसभाओं के पास एक 'पैनेल' भेज सकता है, और 'सिंगिल ट्रान्सफरेबुल वोट' से 'सर्वमान्य' उम्मीदवार का चयन कर सकता है।

सामूहिक ग्रामहित का प्रतिनिधित्व—ऐसे सर्वमान्य उम्मीदवार के पीछे ग्रामसभाओं की व्यापक शक्ति होगी। वे किसी दल या जाति या अन्य किसी संकुचित स्वार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वे प्रतिनिधित्व करेंगे गाँव-गाँव के सामूहिक ग्रामहित का, और सामूहिक निर्णय का। लेकिन मतदाता के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि वह इसी उम्मीदवार को वोट दे, दूसरे को न दे। साथ ही क्षेत्र के हर नागरिक के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का संविधानिक अधिकार भी बना रहेगा।

उम्मीदवार के चयन के बाद की प्रक्रियाएँ जैसे 'नामिनेशन' और चुनाव आदि, प्रचलित पद्धति के अनुसार ही होंगे।

शिक्षण-ग्रुप—ग्राम-प्रतिनिधित्व के आधार पर खड़े होनेवाले लोकतंत्र की इस नयी पद्धति की सफलता एक ओर ग्रामसभाओं की क्रियाशीलता पर तथा दूसरी ओर सघन राजनीतिक शिक्षण पर निर्भर है। आज की व्यवस्था में राजनीतिक शिक्षण राजनीतिक दलों के द्वारा होता है। नयी भूमिका में शिक्षण के लिए विशेष 'शिक्षण-ग्रुप' बनाने पड़ेंगे। शुरू में मतदाता-शिक्षण की जिम्मेदारी सर्व सेवा संघ को उठानी पड़ेगी। हमारा शिक्षण दूसरी बातों के साथ इस पर जोर देगा कि ग्रामसभा, प्रखण्ड-सभा, जिला-सभा, राज्य-सभा सब अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सोचें, और स्थानीय शक्ति से उनका हल ढूँढ़ें, सरकारी शक्ति के भरोसे बैठी न रहें।

विधानसभा में ग्रामदानी प्रतिनिधि सरकार का गठन

विधानसभा में ग्रामदानी प्रतिनिधियों का क्या 'रोल' होगा ? हमारे शिक्षण और ग्रामसभाओं के संगठन की यह कसौटी है कि कुछ वर्ष बाद के बड़े चुनाव में राज्यदानी क्षेत्रों की विधानसभाओं में ग्रामदानी प्रतिनिधियों का प्रबल बहुमत हो। प्रश्न उठेगा : सरकार कैसे बनेगी ?

तब विधानसभा में ऐसा वातावरण बनेगा कि कोई प्रतिनिधि अपने को 'दल-विशेष' या हित-विशेष से जुड़ा हुआ नहीं मानेगा, बल्कि वह समस्त जनता का प्रतिनिधि है, ऐसा सोचेगा।

ग्रामदानी प्रतिनिधि विधानसभा में आज की तरह दलों में बँटकर नहीं बैठेंगे। वे बैठेंगे अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के अनुसार (कन्स्टीच्युएन्सीवाइज), या वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार (अल्फाबेटिकली)। वे अपना अलग ब्लाक नहीं बनायेंगे।

इस तरह सब प्रतिनिधि मिलकर सर्वसम्मति से अपना एक नेता चुनेंगे। वह नेता 'सबकी' सरकार बनायेगा। प्रतिनिधियों में सरकारी दल और विरोधी दल जैसा बँटवारा नहीं होगा।

सरकार में कमेटी-प्रथा (गवर्नमेंट बाई कमिटीज) का मुख्य स्थान होगा।

हर प्रतिनिधि विधानसभा में अपने चुनाव-क्षेत्र की जनता की बात प्रस्तुत करते हुए, जनता के हित को सामने रखकर, सरकार की किसी नीति के प्रति अपनी असहमति प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होगा। जाहिर है कि आलोचक की बात को अनसुनी कर बहुमत के बल पर अपनी नीति लागू करनेवाली पद्धति तब नहीं चलेगी। विधानसभा का हर सदस्य आलोचक की बात को समझने और उसके अनुसार नीति रीति में संशोधन करने, तथा आलोचक अपनी ओर से उस नीति के समर्थकों की बात समझने की तैयारी रखेगा, और आवश्यकतानुसार अपनी असहमति को वापस लेने को तैयार रहेगा।

विधानसभा का काम सामान्यतः सर्वसम्मति से चलेगा। किसी प्रश्न पर 'अल्पमत' के साथ अधिक-से-अधिक उदारता बरती जायेगी, और निर्णय लोकहित के आधार पर किया जायगा।

संसद—संसद के चुनाव में भी प्रतिनिधि मंडल की ही पद्धति बरती जायेगी। संसद के लिए विधानसभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के 'ग्रामदान-प्रतिनिधि-मंडल' बुनियादी इकाई (प्राइमरी यूनिट) माने जायेंगे।

शहरी क्षेत्र—शहरों और नोटिफाइड क्षेत्रों में 'मतदाता कौंसिलों' (वोटर्स कौंसिल) के द्वारा उम्मीदवारों का चयन हो सकेगा।

माध्यमिक चुनाव : १९६८–६९

अभी आन्दोलन की ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मध्यावधि चुनावों में 'दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व' का कार्यक्रम ग्रामदानी जनता के सामने रखा जा सके। प्रयोग के लिए राज्यभर में एक-दो निर्वाचन-क्षेत्र लेना प्रभावकारी नहीं होगा। राजनीति की इकाई राज्य है, इसलिए राजनीति पर 'इम्पैक्ट' डालनेवाले कार्यक्रम के लिए राज्य से छोटा क्षेत्र लेना अनुकूल नहीं मालूम होता। लेकिन मध्यावधि चुनाव के अवसर पर हम लोकनीति की दिशा में ले जानेवाले विचार तो प्रस्तुत कर ही सकते हैं। शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित बातें प्रस्तुत की जा सकती हैं :

सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट—गाँव के लोग उम्मीदवारों से निवेदन करें कि वे गाँव में किसी एक दिन एक मंच पर इकट्ठा हों और अपनी-अपनी बात उनके

www.vinoba.in

सामने रखें, और रखने के बाद निर्णय के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। गाँव ध्यान रखे कि चुनाव के कारण उसकी एकता न टूटने पाये—इस पर गाँव बैठे और सोचे।

• वोट सबसे अच्छे उम्मीदवार को ही देना चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष का या स्वतंत्र हो, न कि जाति, धर्म, वर्ग या अन्य सम्बन्धों के संकीर्ण विचारों के आधार पर। उम्मीदवार की अच्छाई को आँकना कठिन है, फिर भी कुछ बातें सुझायी जा सकती हैं, जैसे उम्मीदवार ग्रामदान में शरीक है या नहीं? वेदखली तो नहीं की? खादीधारी है या नहीं? भूमि-व्यवस्था, बेकारी, खादी-ग्रामोद्योग, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, मद्य-निषेध आदि प्रश्नों पर विचार; उसका वैयक्तिक और राजनीतिक चारित्र्य, तथा क्षेत्र में उसकी सेवा आदि।

• कोई मतदाता पैसे के लोभ या डंडे के भय से वोट न दे। वह पहले से किसीको वोट का वादा भी न करे। किसी दूसरे के नाम में खुद झूठा वोट न दे, और न अपने नाम में किसी दूसरे को देने दे। चुनाव के प्रचार में गाँव के बच्चों को इस्तेमाल न किया जाय, यह ग्रामसभा देखे।

• चुनाव मान्य मर्यादाओं के अनुसार हों तथा उम्मीदवार मान्य आचार-संहिता का पालन करें। यह देखने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र जिला और राज्य के स्तर पर 'निरीक्षण-समितियाँ' (विजिलेंस टीमें) बनायी जा सकती हैं।

ग्रामसभा : कृत्य, अधिकार और साधन

स्वायत्त ग्रामसभा—जहाँ तक कृत्यों और अधिकारों का प्रश्न है वह बहुत कुछ 'स्वायत्त ग्रामसभा' की अवधारणा में निहित है। ग्रामसभा हर व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक अवसर, साधन और संरक्षण दे सके, यह स्थिति पैदा होनी चाहिए। इसके लिए कानून का बल तो चाहिए ही, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है जनता की मान्यताओं, धारणाओं और परम्पराओं को शिक्षण द्वारा संशोधित और परिष्कृत करना। सिद्धान्त के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामसभा को उसकी अधिकतम क्षमता के अनुसार काम करने का अधिकार और अवसर होना चाहिए, बशर्ते उसके किसी काम से किसी दूसरी इकाई का अहित न होता हो।

व्यवस्था की सुविधा की दृष्टि से ग्रामस्वराज्य के विभिन्न स्तरों जैसे गाँव, प्रखंड, जिला, राज्य, पर अधिकारों और कृत्यों का विभाजन होना चाहिए।

आय के स्रोत—ग्रामसभा के पास ग्रामविकास के लिए प्रचुर साधन होने चाहिए। साधनों के ये ६ मुख्य स्रोत हो सकते हैं :

१—कर, २—फीस, ३—दान, ४—श्रम, ५—सहायता—अनुदान और कर्ज, ६—शोषण और बरबादी में रुकावट।

ग्रामसभा की स्वायत्तता की दृष्टि से उचित है कि गाँव मुख्यतः अपने साधनों पर निर्भर रहे, और बाहर के साधन पूरक रूप में ले। बाहर से प्राप्त धन 'रिवाल्विंग फण्ड' के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि गाँव के पास पूँजी बनी रहे।

गाँव के साधन बढ़ें, यह जितना आवश्यक है, उससे कम आवश्यक यह नहीं है कि कमाई गाँव में रहने पाये। इस दृष्टि से नशाबन्दी, सूदखोरी पर नियंत्रण, मुकदमेबाजी या शादी-श्राद्ध में फजूलखर्ची पर रोक आदि का नैतिक के अलावा आर्थिक महत्त्व भी हो जाता है।

साधन के रूप में भूमि की लगान का एक अंश ग्रामसभा के ग्रामकोष में जाना ही चाहिए। इसी तरह गाँव के तालाब की मछली, हाट, परती भूमि, बाग, उद्योग, व्यापार आदि आय के स्रोत हो सकते हैं।

श्रम गाँव की सबसे बड़ी और अक्षय पूँजी है। उस पूँजी के संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग पर जितना ध्यान दिया जाय थोड़ा है।

हिसाब-आडिट—ग्रामकोष के साथ हिसाब और 'आडिट' का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इस काम के लिए इतनी बड़ी संस्था में विशेषज्ञों का मिलना संभव नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि ग्रामसभाओं के चुने हुए व्यक्तियों को हिसाब और आडिट का अभ्यास कराने की योजना बनायी जाय।

• हिसाब और आडिट में छोटी इकाई को बड़ी इकाई से पूरी मदद मिलनी चाहिए। हिसाब-किताब के काम में व्यापारी, साहूकार, और शिक्षक उपयोगी हो सकते हैं।

• धन के विनियोग में यह नियम मान्य होना चाहिए कि रुपया लेनेवाली इकाई देनेवाली इकाई (सरकारी या अन्य) के प्रति उत्तरदायी होगी।

ग्रामसभा : न्याय और दण्ड

नैतिक शक्ति—ग्रामसभा की शक्ति नैतिक है। दण्ड-शक्ति के स्थान पर नैतिक-शक्ति, सरकार-शक्ति की जगह सहकार-शक्ति का विकास ग्रामस्वराज्य की कसौटी है। इसलिए ग्रामदान के कानूनों के होते हुए भी हमें जनता के सामने बराबर इस पहलू पर जोर देते रहना चाहिए।

कानून नहीं, समाधान—गाँव के आपसी जीवन में न्याय कानूनी न होकर समाधानकारी होगा। गाँव में समाधान से ही शान्ति आयेगी और आपसी सम्बन्ध सुधरेंगे।

ग्रामीण जीवन का जिस तरह ह्रास हुआ है उसके कारण उसमें हृदयहीनता इतनी अधिक आ गयी है कि कई बार प्रत्यक्ष अनीति और अन्याय के विरुद्ध भी गाँव की अन्तरात्मा (कान्शंस) को जगाना सम्भव नहीं होता। ऐसी स्थिति में पड़ोस, प्रखण्ड, या जिले के सज्जनों की 'कान्शंस' का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 'कान्शंस' की कोई क्षेत्रीय मर्यादा नहीं है, पर अनीति के प्रसंग में अन्तिम स्पष्ट न्याय गाँव के अंदर ही होना चाहिए। ग्राम-समुदाय अपने हर सदस्य को न्याय दे सके, यह स्थिति आनी ही चाहिए।

पंच-परमेश्वर—समाधान का सर्वोत्तम उपाय यही है कि दोनों पक्ष मिलकर पंच चुनें, और 'पंच परमेश्वर' के सर्वसम्मत निर्णय से परस्पर समाधान प्राप्त करें। पंच गाँव, या गाँव के बाहर के भी, हो सकते हैं।

न्याय-समिति—हर ग्रामसभा की एक न्याय-समिति हो, जिसका काम अभियोग प्राप्त करना और न्याय के लिए उचित कार्रवाई करना हो, लेकिन स्वयं न्याय करना न हो। पक्षों के कहने पर यह समिति, अथवा पूरी ग्रामसभा, पंच नियुक्त कर सकती है।

अच्छा होगा कि न्याय-समिति स्थायी न होकर 'ऐडहाक' हो। यह भी हो सकता है कि एक स्थायी 'पैनेल' हो जिसमें से जरूरत पड़ने पर न्याय-समिति बना ली जाय।

www.vinoba.in

गाँव के भीतरी झगड़ों के अलावा अन्तर-ग्रामीण झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसे झगड़ों के निपटारे के लिए एक स्थायी 'पंचायत न्याय समिति' बनायी जा सकती है, या एक 'पैनेल' में से 'अदालत' बनायी जा सकती है।

अपील—विशेष स्थितियों में 'पंचायत न्याय समिति' के सामने गाँव के भीतरी झगड़ों की अपील भी की जा सकती है। लेकिन अपील एक ही हो, दूसरी नहीं।

सरकार—जाब्ता फौजदारी के विशेष अपराधों में सरकार को अपनी ओर से कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा।

सामाजिक अंकुश—ग्रामसभा अपनी कार्यसमिति को 'सुपरसीड' कर सकती है। लेकिन क्या ग्रामसभा भी 'सुपरसीड' की जा सकती है? ग्रामदान के कानूनों में अधिकारों के दुरुपयोग या कर्त्तव्यों की उपेक्षा की स्थिति में सुपरसेशन की गुंजाइश रखी गयी है, लेकिन ग्राम-स्वराज्य की दृष्टि से सामाजिक अंकुश, जैसे बहिष्कार आदि, विकसित होने चाहिए।

पंचायतीराज की संस्थाओं से सम्बन्ध

समानान्तर प्रतिद्वन्द्वी संस्थाएँ नहीं-इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर गोष्ठी की राय रही कि जहाँ तक हो सके ग्रामदान के नाम में समानान्तर प्रतिद्वन्द्वी संस्थाएँ न बनायी जायँ, लेकिन पंचायती राज की मौजूदा संस्थाओं पर ग्रामस्वराज्य का रंग कैसे चढ़े, उनका ढंग कैसे बदले; और जब जरूरत हो तो उन्हें भंग कैसे किया जाय, यह पूरा विषय तफसील में जाकर अध्ययन करने का है। अध्ययन के आधार पर विचार के लिए नोट तैयार किया जाना चाहिए।

लोक-शिक्षण : दिशा-संकेत

ग्राम-स्वराज्य और लोकनीति की योजना की सफलता लोक-शिक्षण पर निर्भर है। उस पर जितना ध्यान दिया जाय थोड़ा है। गोष्ठी में शिक्षण की कुछ ये दिशाएँ सुझायी गयीं :—

१. सरल साहित्य का निर्माण

२. ग्राम-शान्ति-सेना, तरुण-शान्ति-सेना का संगठन

३. ग्राम-सभा की कार्य-समितियों के सदस्यों के शिविर, गण-सेवकत्व का विकास

४. कार्यकर्त्ता-शिक्षण

५. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

अन्त में गोष्ठी ने यह महसूस किया कि बदलते हुए सन्दर्भ में प्रकट होनेवाले लोकनीति के विभिन्न पहलुओं पर चिन्तन के लिए बार-बार मिलना आवश्यक होगा। शोध और अध्ययन की भी समुचित व्यवस्था करनी होगी।

—राममूर्ति

बिहारदान की दिशा में : प्रगति के आँकड़े

जिला	ग्रामदान	प्रखंडदान	गठित ग्राम सभाएँ	पुष्टि हेतु गाँवों के तैयार कागजात	पुष्टि पदाधिकारी के पास दाखिल कागजात	अभिपुष्टि गाँवों की संख्या	विशेष
१. पूर्णिया	८,१५७	३८	७५४	६०४	४९०	२००	अगस्त तक
२. सहरसा	३,०२२	२३	४४	९	—	—	अगस्त
३. भागलपुर	४९५	४	३३	४	—	—	जुलाई
४. संथाल परगना	१,०७४	३	४०	१७३	१७३	१६०	जुलाई
५. मुंगेर	२,०६१	१९	५२	४६	—	—	जुलाई
६. दरभंगा सदर	३,७२०	४४	४१६	१५५	५५	२९	अगस्त
७. मधुबनी			५९०	८४	५३	—	अगस्त
८. समस्तीपुर			२३७	६२७	५९१	९२	अगस्त
९. मुजफ्फरपुर	३,९१७	४०	९०	४९	३९	२१	जुलाई
१०. सारण	१,०५१	१५	६८	५०	—	—	अगस्त
११. चंपारण	२,८९०	३६	५७	५३	—	—	अगस्त
१२. पटना	४८	—	२३	१३	—	—	अगस्त
१३. गया	१,२१७	३	१७	७	—	—	अगस्त
१४. शाहाबाद	१३०	२	४२	२३	—	—	अगस्त
१५. पलामू	८०४	६	—	—	—	—	११ सितम्बर
१५. हजारीबाग	१,२७३	५	१	८५	—	—	जुलाई
१७. राँची	५२	—	—	—	—	—	अगस्त
१८. धनबाद	५४८	२	३०	२५	—	—	अगस्त
१९. सिंहभूमि	४८०	४	२१	१४	—	—	अगस्त
कुल :	३०,९३९	२४४	२,५१५	२,०२१	१,४०१	५०२	

चंपारण का चमत्कार और बिहारदान की चुनौती

'ऐट वन प्वाइंट, ऐट वन टाइम'

ग्रामदान में सबका सहयोग मिले इकट्ठा, ऐसा अभी तक नहीं था। चंपारण में जब हम गये, वहाँ खास कुछ था नहीं। एक प्रखण्डदान पहले कर चुके थे। गांधीजी के नाम से चंपारण जिला मशहूर था सारे भारत में। तो मैंने सोचा कि ठीक है अब चलें जरा सम्पूर्ण रूप से लगायें संकल्प-शक्ति। 'यथाशक्ति मैं करूँगा', 'जहाँ तक हो सकेगा करूँगा', 'हम कोशिश करेंगे'—इसमें कोई सार नहीं। 'यथाशक्ति' शब्द का अर्थ संस्कृत में जिस अर्थमें है उससे बिलकुल विपरीत अर्थ में हमारी व्याख्या में चलता है। 'यथाशक्ति हम करेंगे' का मतलब, 'लगभग नहीं करेंगे' के बराबर होता है! और इसको कहते हैं—सुवचन, एक अच्छा-सा वचन बोल देना। लेकिन अर्थ वही। तो, उसको 'यथाशक्ति हम करेंगे' या 'धीरे-धीरे हम करेंगे'—ऐसा कहते हैं। संस्कृत में 'यथाशक्ति का अर्थ होता है—'शक्ति अनति-क्रम्य', यानी शक्ति की आखिरी मर्यादा जहाँ टूटती है वहाँ तक जाकर। मान लीजिये, हममें काम करने की शक्ति ५ सेर है, तो ५ सेर में १ तोला कम तक काम करेंगे। ५ सेर में शक्ति टूट जायगी। इस टूटने से जरा पहले, इसका अर्थ है यथाशक्ति। और हमारा अर्थ होता है यथाशक्ति का—कोरी सहानुभूति, तो उसको संकल्प-शक्ति नहीं कहते।

चंपारण में हम जरा परमात्मा का नाम लेकर, गांधीजी का नाम लेकर, दो बड़े नाम—"मारग में तारण मिले संतराम दोई, संत सदा शीश उपर राम हृदय होई।" दो तारक शक्तियाँ हैं—राम और सन्त, हृदय में राम और संत सदा शीश; तो गांधीजी हमारे लिए संत पुरुष थे और रामजी तो हैं ही। दोनों नाम लेकर के हम चले गये। फिर वहाँ देखा कांग्रेस कमेटी पूरी-की-पूरी काम में लग गयी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी लग गयी। दोनों अब 'इलेक्शन' में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन दोनों पार्टियों ने ताकत उसमें लगायी। और भी पार्टियों ने लगायी होगी ताकत थोड़ी-बहुत, एस० एस० पी० वगैरह ने। उनकी ज्यादा ताकत वहाँ देखी नहीं। लेकिन इन दो पक्षों ने जिनकी अच्छी ताकत है वहाँ, पूरी शक्ति से, बराबर सहयोग किया, कन्धे-से-कन्धा लगाकर।

हमने मिसाल दी कि कहीं गाँव में आग लगी है तो क्या फलाने पार्टीवाला काम करेगा, दूसरी पार्टीवाला नहीं करेगा? उस वक्त पार्टी का खयाल कौन करेगा? हर कोई सोचेगा कि आग बुझाने में सबका सहयोग होना चाहिए। तो ऐसी भारत में एक आग लगी हुई है और उसे ग्रामदान के द्वारा हम बुझाने का अल्प प्रयत्न कर रहे हैं तो सबकी ताकत समान रूप से उस कार्य में लगनी चाहिए। फिर अपने 'इलेक्शन' में वे खेलें, 'इलेक्शन' जैसे खेलना हो। परन्तु जहाँ तक इस काम का ताल्लुक है, अपनी

विनोबा

पूरी ताकत वे लगायें। इसके अलावा ग्राम-पंचायतों ने कुछ ताकत लगायी। पूरी नहीं लगा पाये, लेकिन कुछ लगायी। विनोबा बाबू उसके लिए खास आये। डाक्टरों ने उनको मना किया था जाने को, फिर भी वे आये। और दो-चार, पाँच-सात दिन बैठकर सबको प्रेरणा दी। तो कुछ काम उन्होंने किया, कुछ शिक्षकों ने किया, थोड़ा बी०डी० ओ० वगैरह ने किया और ये खादीवाले, सर्वोदयवाले यानी कुल-के-कुल एकदम काम में भिड़ गये। और लगभग सब प्रखण्डों में अभियान किया उन लोगों ने।

आखिर-आखिर में तो पाँच-सात प्रखण्ड आखिर के तीन-चार दिनों में हो गये। हम पूछा करते थे—'अरे, नक्शे में अभी इतना बाकी है? कब होगा?' 'हाँ होगा। अभी चार दिन हैं, तीन दिन हैं, दो दिन हैं।' और आखिर में जब हम वहाँ आखिरी समारोह के लिए बैठे थे उसी वक्त दो-तीन प्रखण्ड आ गये। तो यह वहाँ अनुभव हुआ, जिस चंपारण में कोई समस्या बाकी नहीं। जितनी समस्याएँ होनी चाहिए जिले में, उतनी सब समस्याएँ वहाँ मौजूद हैं। दिन बारिश के थे। लोगों को काफी पानी में से जाना पड़ा था। कुछ बीमारी में पड़े, कुछ को साँप ने काटा, कुछ को शेर का भी दर्शन हुआ। यह सारा वहाँ हुआ, लेकिन लोगों ने जान की बाजी लगा दी!

जो काम कम-से-कम समय में होगा वह कम तकलीफ में होगा। और जिसमें ज्यादा समय लगेगा, धीरे-धीरे होगा, उसमें ज्यादा तकलीफ होगी। और जहाँ आप सब इकट्ठा ताकत लगायेंगे, खूब जोर करेंगे, बहुत ज्यादा त्याग करेंगे, लेकिन चन्द दिनों के लिए; तो पाँच-पन्द्रह दिन में मामला खतम! यह सूचना हमको पचीसों साल पहले दे रखी है गौतम बुद्ध ने।। 'तन्द्रितं कुर्वतः पुण्यं'—जो पुण्य कार्य धीरे-धीरे करता है, अलसाता हुआ, सुस्ताता हुआ करता है, 'पापेहि रमते मनः'—तो मन पाप में रम जाता है, पाप जोर करता है। अब अगर हम काम करते होते शून्य में, तो मैं कहता कि ठीक है, धीरे-धीरे करो, पुण्य कार्य धीरे-धीरे करो। परन्तु आज पाप का जोर है। पाप जोरदार काम करेगा, और पुण्य धीरे-धीरे काम करेगा तो उसका परिवर्तन पाप में हो जायेगा। तो इस वास्ते यह काम धीरे-धीरे करने का नहीं। वैसे बाबा को तो धीरज बहुत है, क्योंकि बाबा का अपना यह काम है नहीं। यह तो उनका काम है, जिनके बाल-बच्चे हैं। अपना तो कुछ है ही नहीं।

जब हम जा रहे थे 'पीर पंजाल' तो 'वायरलेस' से 'मेसेज' हमको दिया गया पंडित नेहरू के द्वारा—'कृपा करके आगे मत बढ़ो।' क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ थी और बाढ़ में ऐसे पत्थर बह रहे थे जो एक-एक पत्थर एक-एक घर के बराबर थे, इस मकान के बराबर। इतना पानी जोरदार था। और लोग कहते थे कि ऐसी बारिश सौ साल में देखी नहीं किसीने। और उसको हम लोगों ने नाम दिया था—हमने ही नाम दिया था—। तूफानेनूह। नूह के जमाने में भी तूफान था और ऐसी बाढ़ लोग आकर के देख गये थे। इसका स्मरण कश्मीर को हुआ। अब पीर पंजाल लांघकर जाना था। उसके ऊपर तो बरफ जमा हुआ रहता है। तो उस पर से

जाना था। यहाँ से वापस जाना पड़ा था गजनी के मुहम्मद को। गजनी का मुहम्मद आया, वहाँ तक कश्मीर पर हमला करने के लिए और मोरान नाम का स्थान है जहाँ हम पहुँचे थे, वहाँ से ऊपर चढ़ना था। तो उसे अपनी सेना लेकर के वापस जाना पड़ा। और इसलिए कश्मीर उसके हाथ आया नहीं। तो वह स्थान जहाँ से उसको वापीस जाना पड़ा, वहाँ हम खड़े थे, और पैदल यात्रा करके। हमारे दो साथी—जिनके हाथ हम पकड़ते हैं, उनके हाथ पकड़ना हमने छोड़ दिया। हमने वहीं के साथी लेकर हाथ पकड़ा। क्योंकि इनका हम हाथ पकड़ते तो हम तीनों चले जाते इकट्ठा—'सह नाववतु सह नौ भुनक्तु।' इसलिए इन लोगों से कहा कि तुम अपने को संभालो, यही बहुत है। और हमने वहाँ के खास जो चलनेवाले होते हैं, उनके हाथ पकड़े थे। उनके पाँव में ऐसे जूते रहते थे जो जूते पकड़ लेते थे अपने रास्ते को। हाथ से जैसे पकड़ते हैं, वैसे वे पाँव से पकड़ते थे। उनको आदत है। अब वह इतना छोटा-सा रास्ता। इधर टूटा हुआ कड़ा, उधर टूटा हुआ कड़ा। हमको कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? हमने दो नियम किये थे, एक-पाँच मिनट चलने के बाद एक मिनट बैठ जाना, जिससे कि साँस न बढ़े; और दूसरा—न इधर देखना, न उधर देखना।

हम बैठ जाते थे हाथ पकड़ करके। फिर जरा देखते थे आसपास क्या आनन्द है। बारिश भी उस समय शुरू हुई, सब कुछ हुआ। अब ऊपर चढ़ने के बाद और भी बारिश शुरू होती तो हम वापस लौटते नहीं, यह पक्की बात थी। लेकिन आश्चर्य हुआ कि हम ऊपर बैठ गये और बारिश बन्द हो गयी। एक खास ईश्वरी योजना! फिर हम उतर गये तो बख्शीजी स्वागत के लिए आये। उनको बड़ी चिन्ता हो रही थी, उनको भी टेलीग्राम मिला था कि बाबा को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बोले 'कैसे हैं?' तो मैंने तीन शब्द कहे—बन्दा, जिन्दा है।'

यह कहानी मैं इसलिए सुना रहा था कि एक संकल्प होता है। जब मनुष्य महान संकल्प करता है अपनी शक्ति के बाहर का, तब परमात्मा मदद करता है। जब अपनी शक्ति नाप-तौलकर उसीके अन्दर-अन्दर संकल्प करता है मनुष्य, मेरी शक्ति १५ तोले है तो मैंने १२ तोले का संकल्प किया, तब ईश्वर कहता है, बेटा, तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं, तू अपना कार्य करता चला जा। जब मनुष्य अपनी शक्ति से, अपनी समूह की शक्ति से ज्यादा संकल्प करता है बड़ा, शिव संकल्प, तो परमात्मा मदद करता है। यह हमको कितनी दफा अनुभव हुआ। तो, जैसे यहाँ लग गयी ताकत, वैसे सब पार्टियाँ एकदम ताकत लगायें और उसके साथ-साथ आपकी पंचायत, ग्राम-पंचायत, शिक्षक-समूह आदि सबकी जमात खड़ी हो जाय तो बस, पन्द्रह दिन में बेड़ापार। समाप्तम्। तो फिर आगे जो करने का काम है वह बहुत है। इस काम को जितना जल्दी हम पूरा करें, उतना हमारे लिए श्रेय है।

नेपोलियन बोनापार्ट को आस्ट्रिया पर हमला करना था। रास्ता था बहुत लम्बा। या तो बहुत बड़े पहाड़ को—स्वीट्जरलैंड में पहाड़ हैं—उन पहाड़ों को पार करके जाना था, या प्रदक्षिणा करके जाने का दूसरा रास्ता था। तो नेपोलियन ने कहा—'नहीं, हम उसी रास्ते से जायेंगे, उसी पहाड़ से जायेंगे।' लोगों ने कहा—'इससे तो मनुष्य मरेंगे।' तो बोला—'मरे बिना कभी जीवन होता है रे भैया? इस वास्ते मरना तो पड़ेगा ही।' और यों करके उसीको लांघ लिया। इससे उनके चार सौ, पाँच सौ लोग मर गये, बरफ में। उनको छोड़ दिया, आगे चले। जो मरे सो मर गये, उनको देखना नहीं। यह आदेश दिया कि उनको उठाना-बैठाना नहीं। और आखिर में पहाड़ लांघने के बाद वे आस्ट्रियावाले एकदम घबड़ा गये, उनको खयाल ही नहीं था, कल्पना ही नहीं थी कि यहाँ से नेपोलियन आयेगा। इस वास्ते उसके पहुँचने से ही आस्ट्रिया खतम हो गया। अब कुल मिलाकर लड़ाई सस्ती पड़ी ऐसा साबित हुआ। लड़ाई लड़नी पड़ी नहीं, तो सस्ती पड़ी, सिर्फ पहाड़ में जो कुछ त्याग हुआ, सो हुआ।

उत्तर बिहार में बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी जब हम घूम रहे थे। और हमसे कइयों ने कहा कि आप मत जाइये। उधर जाने से क्या होगा? ग्रामदान-भूदान का कोई सम्बन्ध वहाँ है ही नहीं। सब जगह बाढ़-ही-बाढ़ है। तो हमने कहा, 'ठीक है। बाढ़ में हम लोगों के पास जायेंगे, और बाढ़ में उनको क्या खाना, कैसे खाना और बीमारी से कैसे बचना, यही सिखायेंगे।' चले हमारे साथ रामदेव। चारों ओर बाढ़-ही-बाढ़ फैली थी, पानी-ही-पानी था। हम हाथ पकड़े हुए जाते थे। वे बहुत ही चिंतित मुद्रा में रहते थे। मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं था। कहीं उन्हें देखने से उनकी चिन्ता मुझे न छू जाय। बहुत चिंतित थे, कि क्या होगा? लेकिन देखा गया कि जहाँ हम पहुँचे वहाँ सैकड़ों नौकाएँ, और नौका में भर-भर के आदमी आये। क्योंकि उस बाढ़ में आनेवाला कौन था? लोगों ने देखा कि ऐसी बाढ़ में यह शख्स आया तो उसके दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। तो यह सारा बिहार मेरे सामने है। हम यहाँ भी आये थे सहर्षा में उन दिनों। काफी जमीन मिली थी हमको सहर्षा में। उस वक्त वहाँ भी बाढ़ थी। तो, इस प्रकार से जब जरा संकल्प करके अपनी शक्ति से बाहर का काम करते हैं तो ताकत लगती है।

मैंने कई दफा कहा कि जब एक बड़ा पत्थर हटाना होता है तो सब लोग हाथ लगाते हैं एक, दो, तीन। एकदम जोर लगा दिया। हट गया। और नहीं तो मैं जोर लगाऊँ, फिर दो जने जोर लगायें, फिर पाँच जने लगायें, तो क्या होगा? हरेक का व्यायाम होगा, सुन्दर व्यायाम। और पत्थर

जयप्रकाशजी आजकल हनुमान का काम कर रहे हैं। उनकी पूँछ में लगी है आग। तो, जगह-जगह जाकर उन्होंने आग लगा दी। अभी गये महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्रवाले हिम्मत करते ही नहीं थे। खूब उनको समझा करके आखिरकार प्रान्तदान का संकल्प करवा करके आ गये। उन्होंने कहा, 'अरे भाई, मौका है। ऐसे मौके को हम खोते हैं तो क्रान्ति-वान्ति होती नहीं, वह राह देखती नहीं हमारी। समय होता है। यों करके आखिर संकल्प कराके ही छोड़ा। तो मुझे हनुमान की याद आयी कि आग लगाते चले आये। —विनोबा

हटेगा नहीं। इसलिए पत्थर को हटाने के लिए सबकी ताकत एकदम लगनी चाहिए—'ऐट वन प्वाइंट, ऐट वन टाइम'। तब काम होता है। तो, यही आपसे हमारी अपील है। जब इस प्रकार से काम करियेगा—अभियान के रूप में, तब 'लाज राखो गिरधारी'। काम पूरा होगा।

www.vinoba.in

उत्तर प्रदेशवाले कहते हैं कि हमको विहार से मार्गदर्शन मिलना चाहिए हर बात में। अब विहारवाला अगर यों कहेगा कि हमने संकल्प तो किया था २ अक्तूबर का। अनेक कारणों से वह नहीं हो सका, तो कैसे चलेगा? इसलिए कम-से कम इस साल में ३१ दिसम्बर तक तो पूरा करो, ताकि उत्तर प्रदेशवालों के लिए थोड़ा समय बावा दे सके। वे माँग कर सकते हैं। ८ करोड़ का प्रान्त है और सारा ग्रामदान करने का संकल्प है। तो थोड़ा समय बाबा का मिलना चाहिए उनको, ऐसी अपेक्षा वे भी कर सकते हैं। और यहाँ का अधूरा काम छोड़कर बाबा चला जायगा, तो दोनों विगड़ जायँगे। धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। तो इस वास्ते यह कुत्ता चाहता है कि घर का बने पूरा, तो जायें घाट पर, अगर जाने की जरूरत पड़ी तो। सम्भव है कि जाने की जरूरत भी न पड़े। आगे का जोरदार काम यहाँ हो। स्वराज्य-स्थापना का दृश्य दिखे। यह सारा हो सकता है। अगर सद्बुद्धि सबको हो जायगी, लगायेंगे ताकत तो। ताकत दो प्रकार से लगती है—एक, अपने आत्म-विश्वास से। अपने ग्रह जो हैं, उन्हें छोड़ करके काम में लग जाने से। दूसरे, एकसाथ सब पन्द्रह बीस-पचीस दिन लगा दें और पन्द्रह-बीस-पचीस दिन में काम पटक लें।

बिहार के कार्यकर्ताओं से हुई चर्चा से
मुजफ्फरपुर : ११ सितम्बर '६८

भूदान तहरीक

उर्दू भाषा में अहिंसक क्रांति की संदेशवाहक पाक्षिक

वार्षिक शुल्क : ४ रुपये

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी-१

मूल्य-परिवर्तन हिंसा या कानून से असम्भव

जयप्रकाश नारायण

वर्तमान युग की माँग है समता—सामाजिक तथा आर्थिक समता, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय।

दुनिया में इस माँग की पूर्ति दो प्रकार से करने का प्रयत्न हुआ है—एक हिंसा से, दूसरा कानून से। हम हिंसा के विरुद्ध हैं, इसलिए हमारे लिए यह रास्ता बन्द है। हम यह भी देखते हैं कि जहाँ-जहाँ हिंसा से समता स्थापित करने का प्रयत्न हुआ है, वहाँ अनेक वर्षों के बाद भी भिन्न-भिन्न प्रकार की विषमता कायम है। जो भी हो, हम इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। हम ऐसा मानते हैं कि यदि इस देश में हिंसा का मार्ग अपनाया गया तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे और शायद फिर से देश गुलाम भी बन जायगा।

दुनिया में जो प्रयास कानून के द्वारा समता स्थापित करने का अब तक हुआ है, उसमें सफलता थोड़ी ही हुई है। कानून से सामाजिक-आर्थिक क्रांति कहीं हो पायी है, ऐसा देखने में नहीं आया है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि मंगलकारी राज्य के रूप में समता की तरफ वे थोड़ा बढ़े हैं, जहाँ कानून का मार्ग अपनाया गया है।

देश की प्रगति ?

जब हम अपने देश की तरफ ध्यान देते हैं तो पिछले २१ वर्षों में इस दिशा में कुछ भी प्रगति हुई है, ऐसा नहीं लगता। बल्कि विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि स्वराज्य के पहले जितनी आर्थिक विषमता पायी जाती थी उससे आज अधिक है। सामन्तशाही और जमींदारी प्रथाओं का उन्मूलन हुआ उतना भर समता की तरफ प्रगति हुई, ऐसा कह सकते हैं। भूमि-व्यवस्था के सुधार के लिए जो भी कानून बने उनके फलस्वरूप जो भूमि का पुनर्वितरण हुआ है वह नगण्य ही है। बिहार में 'सीलिंग' के कानून के द्वारा ५ हजार एकड़ जमीन का भी पुनर्वितरण नहीं हुआ होगा। पड़ोस के उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही हाल है। शायद वहाँ इससे कुछ अधिक भूमि वितरित हुई हो। लेकिन वह भी नगण्य ही है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह असन्तोषकारी परिस्थिति बावजूद इसके है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाकी अनेक नेता भूमि-सुधार के प्रश्न पर पिछले वर्षों में इतना जोर देते रहे हैं। जब गैर-कांग्रेसी हुकूमतें कायम हुईं तो जहाँ समाजवादी तथा साम्यवादी पार्टियाँ भी सम्मिलित थीं वहाँ भी समता की तरफ एक इंच भी प्रगति नहीं हो पायी; और न किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक न्याय ही स्थापित हुआ। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि बिहार में इस दिशा में कुछ करने का प्रयास भी हुआ, फिर भी सफलता नहीं हुई।

कत्ल और कानून का विकल्प

यह अत्यन्त भयंकर परिस्थिति है। हिंसा से हम चाहते नहीं, कानून से कुछ होता नहीं तो फिर रास्ता कौनसा रह जाता है? उत्तर विनोबाजी ने अपने भूदान-ग्रामदान आदि आंदोलन से पेश किया है। परन्तु दुःख की बात है कि देश का प्रबुद्ध समाज इस आंदोलन से अब तक विमुख रहा है। यही नहीं, बल्कि यह कहकर कि क्या भीख माँगने से कभी क्रांति हो सकती है, इस आंदोलन का बड़ा मजाक भी बनाया है। आंदोलन अव्यावहारिक है यह तो उसकी आम आलोचना है। तथ्य क्या है इसकी तरफ शायद ही आलोचकों का ध्यान जाता है। भूदान के सम्बन्ध में बहुत कहा गया कि विनोबाजी को जमीन-मालिकोंने पानी, पत्थर, रेत, ऊसर-बंजर देकर बहला लिया और उसीको सर्वोदयवालों ने अपनी सफलता मान ली। परन्तु तथ्य यह है कि कानून से बिहार में ५ हजार एकड़ जमीन का भी अब तक पुनर्वितरण नहीं हुआ पर भूदान से ३ लाख ४० हजार एकड़ खेती के लायक जमीन भूमिहीनों में बिहार में बाँटी जा चुकी है और बिहार भूदान-यज्ञ कमिटी का अंदाज है कि अगले कुछ वर्षों में लगभग डेढ़ लाख एकड़ जमीन और बाँटी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में जहाँ कानून से १०-१५ हजार एकड़ जमीन मुश्किल से पुनर्वितरित हुई होगी, वहाँ २ लाख एकड़ काबिलकाश्त जमीन बँट चुकी

है। सारे देश में भी कानून के जरिए अब तक जितनी जमीन का पुनर्वितरण हुआ है, उससे कहीं ज्यादा भूदान से हो चुका है। परन्तु खेद है कि आराम कुर्सीवाले आलोचक आलोचना करते ही जा रहे हैं।

ग्रामदान की मुख्य बातें

भूदान आन्दोलन के गर्भ से ग्रामदान पैदा हुआ। अहिंसक क्रान्ति की तरफ यह दूसरा चरण है। ग्रामदान सम्पूर्ण कृषि-क्रान्ति नहीं है, लेकिन उस क्रांति की ओर इस देश में अब तक जो कानूनी या गैरकानूनी सफल कदम उठाये गये हैं उनसे कहीं आगे यह है। ग्रामदान क्या है? उसमें मुख्य तीन बातें हैं—पहली बात, भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में है। आज भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत है। ग्रामदान व्यक्तिगत स्वामित्व को सामुदायिक स्वामित्व में परिवर्तित करता है। जिस गाँव में ग्रामदान हुआ उसमें जितने जमीन-मालिक शरीक हुए उनके नाम सरकारी खाते से कट जायेंगे और सिर्फ एक नाम उनके बदले में चढ़ेगा—ग्रामसभा का नाम। यह ठीक है कि पहले कदम के तौर पर भू-स्वामित्व का विसर्जन केवल कानूनी स्वामित्व का विसर्जन है। स्वामित्व के दूसरे अधिकार फिलहाल कुछ मर्यादित रूप में उन्हींके पास रहते हैं, जो आज मालिक हैं। फिर भी कानूनी मालकियत का ग्रामीकरण है। यह एक महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना है।

ग्रामदान में दूसरी बात जो महत्त्व की है, वह बीसवाँ हिस्सा जमीन का बाँटना। १९ हिस्से में जो पैदा हो उसका ४०वाँ हिस्सा हर फसल के बाद ग्रामसभा को देते रहना, नकद कमाईवालों के लिए एक महीने की कमाई में से ३०वाँ हिस्सा ग्रामसभा को देते रहना और खेतिहर मजदूरों के लिए महीने में एक दिन का श्रम ग्रामसभा को देते रहना। इस प्रकार से जीवन की एक नयी पद्धति स्वीकार करना, जिसका आधार बाँट कर जीना है। आज के समाज में जहाँ नियम छीन के जीने का है और परस्पर घोर संघर्ष चल रहा है, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष है, वहाँ बाँटकर जीने की पद्धति जब प्रचलित होगी तो उसका क्या कल्याणकारी परिणाम हो सकता है, इसकी कल्पना विद्वत्जन कर सकते हैं।

तीसरी बात ग्रामदान में यह है कि हर ग्रामदानी गाँव में वहाँ के कुछ बालिगों को लेकर एक ग्रामसभा बनेगी जिसका हर काम और हर फैसला सर्व-सम्मति अथवा सर्वानुमति से होगा। बिहार ग्रामदान-एक्ट की परिभाषा के अनुसार कम-से-कम ९० फीसदी मत एक ओर और अधिक-से-अधिक १० फीसदी मत दूसरी ओर जब होगा तो फैसला आम राय या सर्वानुमति से हुआ, यह माना जायेगा। आज जहाँ बहुमत के सिद्धान्त के कारण हर बात को लेकर गाँव में फूट और दलबन्दी है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम-पंचायतें निष्फल हो रही हैं वहाँ सर्व-सम्मति अथवा सर्वानुमति की पद्धति कितनी जोड़नेवाली होगी और कितनी गाँव की सामूहिक शक्ति को प्रकट करनेवाली होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है।

मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि ग्रामदान सामाजिक-आर्थिक क्रांति की तरफ जितना बड़ा कदम आज है उससे आगे कानून के लिए बढ़ना वर्तमान परिस्थिति में असंभव है। अब प्रश्न यह है कि ग्रामदान क्या सफल होगा? इस प्रश्न का भी उत्तर कठोर तथ्य ही दे सकते हैं। आज देश भर में लगभग ६० हजार ग्रामदान हो चुके हैं, जिनमें से बिहार में २३ और २४ हजार के बीच में है। भारत में ५ (२ अक्तूबर तक १०) जिलादान हो चुके हैं और पूज्य विनोबाजी की प्रेरणा से बिहारवालों का संकल्प है कि इस वर्ष के गांधी जन्म-दिवस तक बिहारदान हो जाय। (२ अक्तूबर तक आधा बिहारदान पूर्ण हुआ) बिहारदान याने बिहार की ग्रामीण जनसंख्या में से ७५ फीसदी भाग ग्रामदान में आ जाय और खेती की कुल जमीन में से ५१ फीसदी भूमि भी उसमें आ जाय। कुछ वर्षों के प्रयास का जहाँ यह परिणाम दीख रहा है, वहाँ क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि आंदोलन व्यावहारिक है या नहीं? इस बात की ओर भी स्पष्टता हो जाती है, जब हम कानून से आज तक हुई निष्पत्तियों को ध्यान में रखते हैं।

ग्रामदान से मानवता की रक्षा होगी

एक प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि आज के युग में बाँटकर जीना क्या युगधर्म के प्रतिकूल नहीं है? मुझे नहीं लगता कि आज के युग में भी कोई बात हुई, जिसके कारण मानव की मानवता ही समाप्त हो गयी हो। मैं मानता हूँ कि जब तक मानव है तब तक वह इस बात को कहीं ज्यादा पसन्द करेगा कि स्वेच्छापूर्वक उसके पास जो भी संपत्ति है उसको बाँटे, बनिस्बत इसके कि उसका गला काटकर उससे कोई छीनने आये या कानून से उसको मजबूत करके उसका कोई भाग ले ले। इतना ही नहीं बल्कि मेरी यह भी मान्यता है कि जहाँ भी जोर-जबरदस्ती से बँटवारा होगा वहाँ मानवता कुंठित होगी और समाज में उसकी प्रतिक्रिया कभी स्वस्थ नहीं होगी। समाजवाद, साम्यवाद आदि के जो मूल्य हैं, उनको तलवार से या कानून से प्राप्त किया जा सकता है, इसको मैं असंभव मानता हूँ। मूल्यों का परिवर्तन हिंसा या दबाव से नहीं हो सकता। वह तो विचार-परिवर्तन तथा हृदय-परिवर्तन से ही किया जा सकता है। और जहाँ मूल्य-परिवर्तन नहीं हुआ है वहाँ क्रांति सफल हुई है यह तो मैं एक बड़ा भ्रम मानता हूँ। अभी पूज्य विनोबाजी का आन्दोलन ग्रामीण क्षेत्रों में ही चल रहा है, इसलिए कि भारत के ८२ फीसदी लोग गाँव में बसते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक सीमा तक सफलता प्राप्त करने के बाद नगरों की तरफ भी ध्यान दिया जायेगा और जो सिद्धान्त भूमि और ग्राम्य जीवन के क्षेत्र में लागू किये जा रहे हैं, उनका प्रयोग औद्योगिक संपत्ति तथा नगर-जीवन में करना होगा। वह किस प्रकार से होगा, इसका चिन्तन-विचार चल रहा है। ●

बापू की मीठी-मीठी बातें

लेखक : साने गुरुजी

मराठी-वाङ्मय के कोमल करुण साहित्यकार और आदर्श गुरु श्री साने गुरुजी की लेखनी का यह प्रसाद हिन्दी पाठकों, खासकर किशोर वय के बालकों को खूब ही मीठा-मीठा लगेगा। पुस्तक में गांधीजी के जीवन की कुछ प्रेरक, उद्‌बोधक और जीवनदायी घटनाओं का चित्रण सीधी, सरल भाषा में हुआ है।

लगभग १५० पृष्ठों की पुस्तक। मूल्य १–५०।

सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, वाराणसी—१

खादी और ग्रामोद्योग

www.vinoba.in

अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन

निष्कर्ष और सुझावों का सार—५

५३—जैसा कि खादी-ग्रामोद्योग कमीशन के लेखा के बारे में नियंत्रक महालेखा निरीक्षक को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित वार्षिक लेखा विवरण संसद को देना पड़ता है, वैसी ही व्यवस्था राज्य मण्डल अधिनियम में राज्य महालेखापालों के लिए अपने-अपने राज्य के विधान मण्डलों में सम्बन्धित राज्य मण्डलों के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित वार्षिक लेखा विवरण देने के बारे में होना चाहिए। इसके निमित्त महा लेखापाल को वही, लेखा-विवरण, प्रमाणक और लेखा-परीक्षण से सम्बन्धित अन्य कागजात माँगने तथा राज्य-मंडल के किसी भी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होना चाहिए।

५४—राज्य मण्डलों को ऐसी शर्तों का परिपालन करना होगा जिन्हें आयोग राज्य सरकारों से परामर्श करके उस धन के बारे में निर्धारित करेगा जो भारत की संचित निधि से राज्य मण्डल और पंजीकृत संस्थाओं, समितियों आदि को आयोग द्वारा दिया जायेगा। भारत की संचित निधि से जो पंजीकृत संस्थाएँ, सहकारी समितियाँ धन प्राप्त करेंगी उन्हें यदि जरूरत हो तो केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए माँग होने पर उस धन के सम्बन्ध में लेखा का विवरण तथा अन्य अधिलेखा पेश करना होगा।

५५—प्रशासन-मंत्रालय उच्च पदाधिकारियों की एक स्थायी अन्तर्विभागीय समिति स्थापित करे जो आयोग द्वारा प्रेषित तकनीकी, विक्रय-सम्बन्धी, वित्तीय और लेखा-सम्बन्धी समस्याओं पर विशेषज्ञतापूर्ण मार्ग-दर्शन करे। इस समिति की मदद प्रशासन मंत्रालय की कोई टुकड़ी या घटक करे जो सम्बन्धित समस्याओं की जाँच के लिए आवश्यक सभी आँकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करेगा। उपर्युक्त विशेषज्ञतापूर्ण मार्गदर्शन निस्सन्देह उपयोगी होगा, पर यह आवश्यक है कि आयोग अपने दैनंदिन काम में, विशेषकर पदों पर नियुक्ति, भर्ती के नियम आदि विषय में, निर्णय लेने में पर्याप्त स्वातंत्र्य का उपयोग करे।

५६—राज्य में खादी-ग्रामोद्योग सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण और पंजीयत के लिए अभी जो प्रबन्ध है उनमें सुधार के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। जहाँ कहीं भी खादी-ग्रामोद्योग सहकारी समितियाँ एक निश्चित संख्या से अधिक हैं वहाँ उन समितियों की विशेष रूप से देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों से किसी संयुक्त पंजिकाधिकारी (रजिस्ट्रार), उप-पंजिकाधिकारी को नियुक्ति की जानी चाहिए।

५७—आयोग और राज्य मण्डल मुख्यतः पथप्रदर्शन, समन्वय और प्रोत्साहन-कार्य करें एवं विभागीय केन्द्रों की स्थापना करके उत्पादन या विक्रय योजनाओं के निष्पादन में अपने को सीधे शामिल नहीं करें। ऐसे केन्द्र पंजीकृत संस्थाओं या सहकारी समितियों को न दे दिये जायँ। पर जब आवश्यक हो तब आयोग या राज्य मण्डल नये और सुधरे तकनीकों को दाखिल करने की दृष्टि से मार्ग-दर्शी उत्पादन या विक्रय योजनाओं का दायित्व ले सकते हैं। (समाप्त)

खादी और ग्रामोद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं
इनके सम्बन्ध में पूरी जानकरी के लिए
पढ़िये

खादी ग्रामोद्योग
(मासिक)

प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष।
विश्वस्त जानकारी के आधार पर ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका। खादी और ग्रामोद्योग के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगीकरण की सम्भावनाओं तथा शहरीकरण के प्रसार पर मुक्त विचार-विमर्श का माध्यम।
ग्रामीण धंधों के उत्पादनों में उन्नत माध्यमिक तकनालाजी के संयोजन व अनुसंधान-कार्यों की जानकारी देनेवाली मासिक पत्रिका।
वार्षिक शुल्क : २ रुपये ५० पैसे
एक अंक : २५ पैसे

जागृति
(पाक्षिक)

प्रकाशन का बारहवाँ वर्ष।
खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों सम्बन्धी ताजे समाचार तथा ग्रामीण योजनाओं की प्रगति का मौलिक विवरण देनेवाला समाचार पाक्षिक। ग्राम-विकास की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करनेवाला समाचार-पत्र।
गाँवों में उन्नति से सम्बन्धित विषयों पर मुक्त विचार-विमर्श का माध्यम।
वार्षिक शुल्क : ४ रुपये
एक प्रति : २० पैसे

(संपादक—जगदीश नारायण वर्मा)
हिन्दी और अंग्रेजी में समानांतर प्रकाशित

अंक-प्राप्ति के लिए लिखें
"प्रचार निर्देशालय"
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय'
इर्ला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम),
बम्बई—५६ एएस

इतिहास का तथ्य : भावना का सत्य

"जे० पी० ! आप तो दुनिया के बहुत-से देशों में गये हैं, क्रान्ति के इतिहासों का अध्ययन किया है, आपका क्या अनुभव है, क्रान्ति-यात्रा में कौन अधिक दूर तक जाता है, क्रान्तिकारी तत्त्वों के प्रति भावनाशील व्यक्ति या कर्मकांडी ?" कई साल हो गये,

श्री गौरी बाबू

बिहार के सम्मानित और रईस बुजुर्ग श्री गौरी बाबू ने यह सवाल पूछा था।

"जहाँ तक क्रान्तियों के इतिहास के पन्ने बोलते हैं, साबित यही होता है कि भावना-वालों ने क्रान्ति-यात्रा में अधिक दूर तक के फासले पूरे किये हैं।" जे० पी० ने जवाब दिया था। उन दिनों क्रान्ति के कर्मकाण्ड का बोलबाला था।

अब यह चर्चा शायद किसीको याद भी नहीं होगी और अब तो क्रान्ति के कर्मकाण्ड से अधिक सजग बौद्धिकता का आन्दोलन के वातावरण में प्रवेश हो गया है, भावना अधिक व्यापक हुई है।

उस दिन जे० पी० वाली ऐतिहासिक तथ्य की बात रजौली (श्री गौरी बाबू का गाँव) प्रखण्डदान-अभियान की पूर्व-तैयारी की सभा में सत्य बनकर प्रकट हुई।

प्रखण्ड के प्रमुख व्यक्तियों की एक गोष्ठी पूर्व-तैयारी के लिए स्थानीय हाईस्कूल में १५ सितम्बर '६८ को प्रखण्ड विकास-पदाधिकारी की अध्यक्षता में बुलायी गयी थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि श्री गौरी बाबू आयें तो चर्चा शुरू हो और कार्य की योजना बने, कि तभी गौरी बाबू अपने भतीजे श्री व्यास के साथ आते दिखाई पड़े। श्री व्यास के हाथ में एक बड़ा पात्र था, जो खादी के वस्त्र से आवरित था। लोगों की जिज्ञासु निगाहें आतुर थीं। पात्र सभा में उपस्थित लोगों के सामने रखा गया, और श्री गौरी बाबू ने 'सत्य' के आवरण को हटा दिया।

"चाँदी के एक बड़े थाल में हल्दी में रंगे गये सवा सेर वासमती चावल, पाँच सौ एक रुपये नकद और अपने परिवार के छहों हिस्सेदारों के छह ग्रामदान-समर्पण-पत्र, पूरे विवरण के साथ !"

आये थे योजना करने कि कैसे प्रखण्ड-दान हो, और यहाँ गौरी बाबू ने उसका उद्घाटन ही कर दिया।

और इस माहौल में रजौली का प्रखण्ड-दान पाँच-छह दिनों में पूरा होकर रहा।

किसीने गौरी बाबू से कहा, "बधाई है !" "बधाई कैसी ? यह तो अपना फर्ज अदा किया !" गौरी बाबू ने जवाब दिया।

—अनिकेत

पुण्य-स्मरण

डा० राम मनोहर लोहिया को गये हुए बारह महीने हो गये। इन बारह महीनों में देश में बहुत हुआ, बहुत नहीं हुआ, लेकिन शायद ही कोई ऐसा काम हुआ हो जो लोहिया-जी को संतोष देता, अगर वह जिन्दा होते। 'समता' की रट लगाते-लगाते वह गये। बारह महीनों में देश समता से बारह कोस और दूर चला गया है। जिस कांग्रेस-विरोधी मोर्चे को वह क्रान्ति का माध्यम बनाना चाहते थे वह भी टूट गया। वह मोर्चा ही क्यों, सारी राजनीति टूट रही है, और देश को तोड़ रही है। लेकिन लोहियाजी की अन्तिम श्रद्धा जनता की शक्ति में थी। जनता ही शक्ति का अन्तिम स्रोत है, न कि सरकार या संस्था, यह प्रतीति बढ़ रही है। निश्चित ही इस प्रतीति से वह पावन प्रक्षोभ जगेगा जो एक दिन समता के रोड़ों को दूर कर देगा। लोहिया-जी की पुण्य-स्मृति समता के लिए होनेवाले हर पुरुषार्थ के साथ जुड़ी रहेगी। आज के दिन हम श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते हैं।

काशी : १२ अक्तूबर '६८

भूदान-आन्दोलन के समाचार

गांधी-विनोबा जयन्ती सम्पन्न

पूरे देश से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ११ सितम्बर—'विनोबा जयन्ती' से २ अक्तूबर—'गांधी जयन्ती' तक सर्वोदय-पर्व में सर्वोदय-विचार के प्रचार और शिक्षण के कार्यक्रम उत्साह के साथ सम्पन्न हुए। पद-यात्रा, अखण्ड सूत्र-यज्ञ, कताई-प्रतियोगिता, सामूहिक सफाई, सामूहिक प्रार्थना, मद्यनिषेध के लिए लोक-शिक्षण, प्रदर्शनी, प्रभात-फेरी, जुलूस और सभा-गोष्ठी आदि कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं, नेताओं और संस्थाओं ने गांधी-विनोबा के विचारों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम किया।

२ अक्तूबर '६८ को गांधी-जन्म-शताब्दी वर्ष का शुभारम्भ करते हुए जगह-जगह अगले सालभर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहने की योजनाएँ बनायी गयीं।

पश्चिम निमाड़ में जिलादान-अभियान

विनोबाजी के चौहत्तरवें जन्म-दिवस (११ सितम्बर '६८) से पश्चिम निमाड़ जिले में जिलादान-अभियान शुरू हो गया है। स्थानीय सेवकों के अलावा अभियान में गांधी-निधि के लगभग ३४ कार्यकर्त्ता भाग ले रहे हैं। मार्गदर्शन मध्यप्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष श्री वि० स० खोड़े स्वयं कर रहे हैं।

१५१ ग्रामदान

तरुण शान्ति-सेना शिविर

मुजफ्फरनगर से श्री प्रकाश भाई ने समाचार दिया है कि कैराना, ऊन, थाना भवन ब्लाकों में ग्रामदान अभियान चलाया गया और १५१ ग्रामदान प्राप्त हुए।

बलिया में तरुण-शान्तिसेना का दूसरा शिविर सुखपुरा इंटर कालेज में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन १८ सितम्बर को आचार्य राममूर्ति ने किया। इस शिविर की विशेषता यह रही कि विद्यालय के अतिरिक्त समय में ही छात्रों ने शिविर का प्रशिक्षण-क्रम पूरा किया।

www.vinoba.in

उत्तर बिहारदान का काम पूर्ण

सारण जिलादान ३० सितम्बर को घोषित

सारण : ३० सितम्बर'६८ । पन्द्रह दिनों के आचार्य विनोबा के सारण-प्रवासकाल में ही जिले के शेष पच्चीस प्रखण्डों का दान पूरा हुआ। इस चमत्कारी अभियान में सारण के जिलाधीश की प्रेरणा और शक्ति मुख्य रूप से लगी। पार्टियों, पंचायतों, खादी-ग्रामोद्योगों आदि के कार्यकर्ता तो लगे थे ही। अब बिहारदान की स्थिति ५ अगस्त तक प्राप्त आँकड़ों के अनुसार निम्न प्रकार है :

(१) बिहार की कुल
जनसंख्या ४,६४,५५,६१०
ग्रामीण जनसंख्या ४,२५,४१,६६०
ग्रामदान में भौगोलिक
क्षेत्र की कुल जनसंख्या २,३६,४६,४५७
ग्रामीण जनसंख्या २,२५,७६,७०१
ग्रामदान-क्षेत्र में कुल
जनसंख्या का औसत ५१%
ग्रामदान-क्षेत्र में कुल ग्रामीण
जनसंख्या का औसत ५३%
कुल ग्रामीण परिवारों
में से ग्रामदान में शरीक
परिवार ४०%

(२) बिहार का क्षेत्रफल
१,७३,६३४ कि०मि०
ग्रामदान का क्षेत्र ७७,३६७कि०मी०
कुल क्षेत्रफल का
प्रतिशत ४४%

(३) बिहार के कुल प्रखण्ड ५८७
ग्रामदान में शामिल २७१
प्रतिशत ४६.७%

(४) कुल जिले १७
ग्रामदान जिले ६
प्रतिशत ३५%

(५) उत्तर बिहार की
कुल जनसंख्या २,१८,६४,६७६
ग्रामीण जनसंख्या २,०८,१७,३८८
कुल क्षेत्र ५३,७३६ कि०मि०

—निर्मलचन्द्र

देश के आर्थिक जीवन में गलत प्रवाह

उसे कैसे रोकें ?

गांधी-दर्शन के अनन्य भाष्यकार स्व० श्री कि० घ० मश्रूवाला ने हिन्दुस्तान के गाँवों का जो चित्र आजादी के पहिले खींचा था वह आज भी ज्यों-का-त्यों बना है :—

"हिन्दुस्तान गांवों में बसा है यह बात तो बारम्बार कही गयी है, पर हिन्दुस्तान की संपत्ति सम्बन्धी आज की अधिकांश योजनाएँ गाँवों के हित की दृष्टि से नहीं बनायी गयी हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि गाँवों का कच्चा माल शहर में पटता है तथा शहरों में बने पक्के माल से गाँवों को पाटने की कोशिश की जाती है। जीवन के बहुतेरे साधन जो गाँव के खेतों और जंगलों में लगभग मुफ्त मिल सकते हैं, उनके बदले शहरों और विदेशों में बना हुआ देखने में थोड़ा-बहुत सुविधाजनक लेकिन अधिकांश में दिखावे के लिए ही आवश्यक और अच्छा लगनेवाला माल काम में लाने का फैशन बढ़ जाने से देहात के बहुत-से उद्योग और मजदूरी के धन्धे नष्ट हो गये और होते जा रहे हैं। ऐसा अधिक आकर्षक सामान आरोग्य और स्वच्छता की दृष्टि से हानिकारक और गन्दा भी होता है, खर्चीला तो होता ही है। ये सब चीजें गाँव की वस्तुओं से सस्ती पड़ती हों सो बात नहीं है।

"इसके सिवा व्यापारियों की संकुचित और तुरन्त मुनाफा कमा लेने की स्वार्थ दृष्टि ने बहुत-से देहाती माल को मशीन के माल की अपेक्षा पड़ते में महँगा न होते हुए भी, खरीददार के लिए महँगा बना दिया है। इससे जो बाजार सहज में देहात के हाथ में रह सकता है वह भी कारखानों और विदेशियों के हाथ में चला गया है।

"जब अर्थशास्त्र और जीवन में ग्रामदृष्टि का प्रवेश होगा तब देहात की बनी चीजों का अधिकाधिक उपयोग करने की ओर जनता का मन झुकेगा।

"इस प्रकार आज संपत्ति देहात से शहरों में चली जा रही है और देहात हर दृष्टि से कंगाल होते जा रहे हैं।"

इस प्रवाह को बदलने की जरूरत है। यह कैसे बदलेगा ?

त्रिविध कार्यक्रम (ग्रामदान, ग्रामाभिमुख खादी एवं शांति-सेना) के जरिये आप इस प्रवाह को बदल सकते हैं।

सन् १९६९ गांधीजी की जन्म-शताब्दी का साल है।
आइए, इस प्रवाह को बदलने में सब जुट जायं।

राष्ट्रीय गांधी जन्म-शताब्दी समिति की गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति द्वारा प्रसारित

www.vinoba.in
भूदान-यज्ञ १४-१०-'६८ : रजिस्टर्ड नम्बर एल. ३५४ [पहले से डाकव्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त] लाइसेन्स नम्बर ए ३४

वाराणसी में विनोबा

गाड़ी सुबह ६ बजे वाराणसी सिटी स्टेशन पहुँची तो सबसे पीछेवाले तीसरे दर्जे के डिब्बे में खिड़की के पास बैठे हुए मगन-मन बाबा की उंगलियाँ धीरे-धीरे ताल दे रही थीं। नयन जुड़ा रहे थे सुबह-सुबह क्रान्ति, करुणा और काव्य के संगम-स्वरूप इस व्यक्तित्व के दर्शन करके। दुनिया को आज विषम और विध्वंसक परिस्थिति से मुक्ति की दिशा देनेवाला व्यक्तित्व करुणा का सागर और क्रांति का उपासक तो है ही, लेकिन उसके जीवन की हर तरंग काव्यमय भी है। तभी तो उंगलियाँ अक्सर लयबद्ध नाचती रहती हैं, कण्ठ से धीमी-धीमी गुनगुनाहट की ध्वनि निकलती रहती है।

सिर्फ तीन दिनों पूर्व सूचना मिली थी कि बाबा काशी होकर गया जायेंगे। 'सुप्रीम कमाण्डर' आखिरी निर्णय अपने हाथ में रखता है, उसमें 'इफ' (अगर) का कोई स्थान नहीं होता, यह हम जानते हैं। बाबा ने अपने उस अधिकार का उपयोग किया और मुजफ्फरपुर, बड़हिया, नवादा होकर गया जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। इच्छा हुई 'काशी-दर्शन' की, 'मित्र-मिलन' की, और आ गये।

बाबा काशी आ रहे हैं, इस निमित्त से कुछ कार्यक्रम झटपट तय किये गये। यद्यपि दशहरे की छुट्टियों और विभिन्न प्रकार के आयोजनों के कारण समय उतना अनुकूल नहीं था, लेकिन उत्तर-प्रदेशदान का संकल्प है, आचार्यकुल के संगठन की योजना है, तो बाबा के आगमन का भरपूर लाभ लेने की चेष्टा करनी ही है। कार्यक्रम बन गये, कई एक।

लेकिन बाबा ने पहुँचते ही पूछा, "सम्पूर्णानन्दजी कैसे हैं?" "हालत अच्छी नहीं।" जवाब मिला। "तो हम आज ही उन्हें देखने जायेंगे।" बाबा ने कहा। घटना सुनी थी कभी धीरेन्दा से कि पवनार आश्रम में कुछ लोग बाबा से मिलने गये, लेकिन वे खेत में काम कर रहे थे। घंटों इंतजार किया, लेकिन बाबा ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। और आज देख रहा हूँ कि बाबा 'मिलन' के लिए काशी आये हैं, और यहाँ आने के बाद का पहला कार्यक्रम है—रोगशय्या पर पड़े हुए सम्पूर्णानन्दजी को देखने जाना। व्यक्तित्व के विभिन्न रूप, साधना की विविध दिशाएँ, लेकिन जीवन-प्रवाह का एक अखण्ड क्रम, जिसमें मानवहृदय की अतुल गहराई और विराट व्यापकता, दोनों साथ-साथ!

सर्व सेवा संघ के कार्यकर्ताओं से पारिवारिक ढंग की चर्चा में बाबा ने बोध दिया, भाव दिया, प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया, लेकिन सबसे अधिक प्यार दिया। बच्चे उनकी बतायी-सिखायी ध्यान, भक्ति, ज्ञान और कर्म की मुद्राओं को जब देखिये तब दुहराते रहते हैं।

डा० सम्पूर्णानन्द से ४ बजे शाम को मिले तो देर तक उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे रहे, फिर नब्ज देखी, डाक्टर से हालचाल पूछा, और चलते-चलते डा० सम्पूर्णानन्द से कहा, "काशी में कोई काम नहीं था, मिलने आया था, तो यहाँ आपके पास आया। परमात्मा आपको शान्ति दे, यही प्रार्थना करता हूँ। जय जगत्।" करीब-करीब बेसुध-से डा० सम्पूर्णानन्द अब जीवन का आखिरी अध्याय पूरा कर रहे हैं। पलकें कभी-कभी खुलती थीं, होंठ कुछ कँपते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल पाती थी, किसी प्रकार कह पाये, "...बड़ी...कृपा...।"

२ अक्तूबर को हजारों श्रोताओं के बीच टाउन हाल के मैदान में पूरे एक घंटे का प्रवचन। बाबा उत्तरप्रदेश में आते हैं तो अपनी 'सूक्ष्म' की मर्यादा से बाहर चले जाते हैं। तिसपर आज गांधी-जयन्ती। कहा कि यह आत्म-परीक्षण का दिन है। अपनी आत्म-परीक्षा करते हुए अपने कर्तृत्व का त्रिविध विभाजन कर डाला—"जो कुछ अच्छा कर सका, बापू के नाम के प्रभाव से, जो कुछ बुरा किया, वह अपनी कमी से, और जो कुछ नहीं कर सका, वह भगवान की मर्जी से।" (पूरा भाषण अगले अंक में पढ़ें।)

शाम को काशी के विद्वानों और प्रमुख नागरिकों की मुलाकात के समय वाराणसी के मेयर ने पूछा, "गांधी के बाद इस देश का श्रद्धा-केन्द्र कोई है नहीं, इसलिए एकता और समग्रता का पूर्ण अभाव है। क्या ऐसा कोई केन्द्र हो सकता है?" बाबा ने कहा, "आगे आनेवाला जमाना गण-सेवकत्व का है। तटस्थ सेवकों की जमात ही देश की श्रद्धा का केन्द्र हो सकती है, महान-से-महान व्यक्ति भी नहीं। यह सर्व सेवा संघ है तो छोटी जमात, लेकिन तटस्थ सेवकों की है। उसकी शक्ति सब लोग बढ़ाइये और मिलकर उसे देश की श्रद्धा का केन्द्र बनाइये।"

३ अक्तूबर को बाबा ने प्रदेश के तथा पूर्वी जिलों के कुछ कार्यकर्ताओं को (वाराणसी और पड़ोसी जिलों के अधिक थे) उद्बोधित करते हुए अध्ययन पर जोर दिया और कहा, "हमारे कार्यकर्ता चरखा, करघा, चक्की, घानी के झमेले में इस तरह उलझे रहते हैं कि वे कोल्हू के बैल की तरह हो जाते हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके लिए उतने ही अधिक अध्ययन की जरूरत है।"

शाम को 'आचार्यकुल' की गोष्ठी वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई। बाबा को १०० डिग्री ज्वर हो आया था, फिर भी वहाँ गये और आचार्यकुल की दिशा का निर्देश करते हुए आचार्यों को राजनीति से अलग और मन की सीमाओं से ऊपर उठने की सलाह दी।

काशी बाबा की श्रद्धा और आशा का केन्द्र है। उनको पूरी आशा है कि यहाँ आचार्यकुल और प्रदेशदान की शक्ति प्रकट होगी।

रात को चलते-चलते 'तूफान' के आराधक को प्रकृति ने 'तूफानी' सलामी देकर विदाई दी। तेज ठंढी हवा के साथ वर्षा हो रही थी। बाबा 'गया' की ओर गये, यह आशा मन में पैदा करके कि फिर···फिर काशी आयेंगे!

—राही

वार्षिक शुल्क : १० रु०; विदेश में २० रु०; या २५ शिलिंग या ३ डालर। एक प्रति : २० पैसे
श्रीकृष्णदत्त भट्ट द्वारा सर्व सेवा संघ के लिए प्रकाशित एवं इण्डियन प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी में मुद्रित